सत्यमेव जयते

भारत का विधि आयोग

रिपोर्ट सं0 269

अंडे देने वाली मुर्गियों (लेयरों) और ब्रोयलर चिकन का परिवहन और उनकी आवास - व्यवस्था

जुलाई, 2017

डा0 न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान
पूर्व न्यायधीश सर्वोच्च न्यायालय
अध्यक्ष
भारत का विधि आयोग
भारत सरकार
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
दूरभाष : 23736758, फैक्स : 23355741

सत्यमेव जयते

Dr. Justice B.S. Chauhan
Former Judge Supreme Court of India
Chairman
Law Commission of India
Government of India
Hindustan Times House
K.G.Marg New Delhi-110001
Telephone : 23736758, Fax : 23355741

अ.सा.सं. 6(3)310/2017-एलसी(एलएस) 3 जुलाई, 2017

श्री रवि शंकर प्रसाद जी,

भारत के विधि आयोग को विधि और न्याय मंत्रालय से तारीख 2 मार्च, 2017 को एक निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसमें आयोग से कुक्कुट पक्षियों के परिवहन और उनकी आवास-व्यवस्था से संबंधित विद्यमान विधियों और अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों पर विचार करने के लिए कहा गया था । 12 अप्रैल, 2017 को आयोग ने अपनी वेबसाइटपर एक अपील की, जिसमें उसने सभी पणधारियों से इस संबंध में पालन-पोषण, विक्रय या किसी अन्य सुसंगत विषय पर आयोग के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया । आयोग को इस संबंध में बहुत से उत्तर प्राप्त हुए हैं, जिन्हें संक्षेपीकृत किया गया है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है । आगे अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों पर भी ब्यौरेवार विचार किया गया है । ब्यौरेवार विचार-विमर्श के पश्चात्, आयोग ने **"अंडा देने वाली मुर्गियों (लेयरों) और ब्रोयलर चिकन का परिवहन और उनकी आवास-व्यवस्था"** नामक अपनी **रिपोर्ट सं0 269** को अंतिम रूप दिया है और उसे इसके साथ सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए भेजा जा रहा है ।

आयोग, रिपोर्ट तैयार करने में डा0 सौम्या सक्सेना, सुश्री अनुमेहा मिश्रा और सुश्री साक्षी विजय, परामर्शियों द्वारा दी गई प्रसंशनीय सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता को अभिलिखित करता है ।

सादर,

भवदीय,

(डा0 न्यायमूर्ति बी.एस.चौहान)

श्री रवि शंकर प्रसाद
माननीय विधि और न्याय मंत्री
भारत सरकार
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली- 110115

रिपोर्ट सं0 269

अंडा देने वाली मुर्गियों (लेयरों) और ब्रोयलर चिकन का परिवहन और उनकी आवास-व्यवस्था

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
1	प्रस्तावना	1 - 3
2	संवैधानिक और विधिक ढांचा	4 - 17
क	संविधान	4 - 5
ख	कानून	5 - 7
ग	पशुओं के परिवहन को विनियमित करने वाले विधिक उपबंध	8 - 10
घ	अंतरराष्ट्रीय बाध्यताएं और वैश्विक रूप से मान्यताप्राप्त कुक्कुट अधिकार	11 - 13
ड.	पशु कल्याण से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय	13 - 16
च	पशु कल्याण से संबंधित उच्च न्यायालय के निर्णय	16 - 17
3	लेयरों और ब्रायलरों की आवास-व्यवस्था	18 - 27
क	लेयर	24 - 24
	क. यूरोपीय संघ और अन्य देशों में पद्धतियां	24
	ख. अंडा देने वाली मुर्गियों संबंधी विनियम	24
ख	ब्रोयलर	25 - 27
	क. ब्रोयलर चिकन को शासित करने वाला विधिक ढांचा	25 - 26
	ख. ब्रोयलर चिकन संबंधी सिफारिशें	26 - 27
4	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम में दंडों का पुनर्विलोकन	28 - 30
V	सिफारिशों का संक्षेप	31 - 32
उपाबंध		
1	पशुओं (अंडा देने वाली मुर्गियों) के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2017	33 - 42
2	पशुओं (ब्रोयलर चिकन) के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2017	43 - 51
3	अभ्यावेदनों/उत्तरों का संक्षेप	52 - 54

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 आधुनिक विधिक प्रणाली ज्ञान, सामाजिक क्षमताओं जैसे संस्कृति और नैतिक क्षमताओं के आधार पर मानव और पशु के बीच अंतर करती है ।[1] पशु कल्याण न्यायशास्त्र इस काल्पनिक परिसीमा की पुन: परीक्षा के लिए आग्रह करता है । जेरिमी वेंथम ने तर्क दिया है कि तर्क की क्षमता के बजाय पीड़ा सहने की क्षमता को वह मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, जिसके अनुसार पशुओं के साथ व्यवहार किया जाए । उसने टिप्पण किया :

> "वह दिन आ सकता है, जब शेष पशु सृष्टि उन अधिकारों को अर्जित कर ले, जिनको उन्हें देने से, सिवाय अत्याचार के, कभी इंकार नहीं किया जा सकता था....." प्रश्न यह नहीं है कि क्या वे इसके लिए कारण दे सकते हैं ? वे बात नहीं कर सकते हैं ? किन्तु क्या वे पीड़ा सह सकते हैं ?"[2]

पशु कल्याण संबंधी बहस में पुशओं की पीड़ा को ध्यान में रखने पर और ऐसी विधियां बनाने पर, जो इस उद्देश्य के प्रति अधिक संवेदनशील है, जोर दिया गया है । हाल के वर्षों में पशु कल्याण न्यायशास्त्र मीट उत्पादन की अधिक संवेदनशील पद्धतियों को अपनाने और कारखाना फार्मों में पशुओं की स्थिति सुधारने पर जोर दे रहा है । यह सुझाव लगातार दिया जा रहा है कि पशु कल्याण में सुधार के परिणामस्वरूप संक्रमित रोगों की घटनाओं में कमी, फार्म पशुओं द्वारा मानवीय रोगजनक अंगों के गिराने में कमी और प्रति जीवाणु के उपयोग में तथा प्रति जीवाणु प्रतिरोधशक्ति में कमी के द्वारा खाद्य अधिक अच्छा और सुरक्षित

---

[1] एनी पीटर्स, "लिबर्टी, इगालाइट, एनिमलाइट : ह्यूमन-एनिमल कम्पेरिजन्स इन लॉ" http://www.mpil.de/files/pdf4/Peters_Human-animal_Comparisions2.pdf पर उपलब्ध है (जून 24, 2017 को अंतिम बार देखा गया) ।

[2] देखिए पी. सिंगर, एनिमल लिबरेशन (थोरसंस पब्लिशर्स लिमिटेड, 1975) ।

होगा ।[3] यह पाया गया है कि पशुधन की अनुभवी और संवेदनशील देखभाल से मीट और उपोत्पादों में गुणवत्ता संबंधी कमियों का निवारण होता है ।[4]

1.2 2 मार्च, 2017 को भारत के विधि आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय से एक निर्देश प्राप्त किया था, जिसमें आयोग से कुक्कुट पक्षियों के परिवहन और उनकी आवास-व्यवस्था से संबंधित विधियों और अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों का ब्यौरेवार अध्ययन करने के लिए कहा गया था ।

1.3 पशुओं का धर्म, लोककथाओं और पौराणिक कथाओं में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख मिलता है । वे अस्तित्व के तरीकों और जीवन की घटनाओं को परिभाषित करते हैं । यह विश्वास किया जाता है कि पशु संवाद कर सकते हैं और उनकी भावनाएं भी होती हैं ।[5] यह भी महत्वपूर्ण है कि मनुष्यों का पशुओं के साथ सदैव सहजीवनात्मक संबंध रहा है ।

> भारतीय लोकाचार ने पशुओं को मानव जीवन का सर्वोत्तकृष्ट पहलू समझा है । कौटिल्य का अर्थशास्त्र व्यापक रूप से पशु कल्याण की बात करता है । उदाहरण के लिए उसने आरक्षित पार्कों और संरक्षण स्थलों में संरक्षित किस्मों और पशुओं को मारने या क्षति पहुंचाने का प्रतिषेध किया है । ग्राम मुखिया का पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करने के लिए उत्तरदायित्व था और किसी पशु के प्रति क्रूरता करने वाले व्यक्ति को किसी भी रीति से निर्बंधित किया जा सकता था ।[6]

---

[3] देखिए ए.एम. डि पास्सिले एंड जे. रशन, ''पशु कल्याण में खाद्य सुरक्षा पर्यावरण संबंधी विषय'' 24(2) रेव.साइंस.टेक. आफ. इंट. एपीज. 757 (2005)।

[4] फिलिप जी. चैम्बर्स एंड टेम्पल ग्रांडिन ''पशुधन की मानवोचित उठाई-धराई, परिवहन और वध के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत'' (रैप पब्लिकेशन 2001/4, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन) ।

[5] कृष्णा, नंदिता, ''भारत के पवित्र पशु'' (2010), पेंग्यूइन बुक्स इंडिया ; एंड एलेन, बारबरा, ''धर्म में पशु : उपासना, प्रतीक और धार्मिक कृत्य'' (2016), रेक्शन बुक्स बुक्स ।

[6] कौटिल्य, ''दि अर्थशास्त्र''एल.एन. रंगराजन द्वारा संपादित और अनुवादित 61 (पेंग्यूइन बुक्स इंडिया, 1992)।

1.4 संपूर्ण विश्व में चिकन वाणिज्यिक गुण वाले रहे हैं, जिनका चयन दो कारणों अर्थात् अंडा उत्पादन (लेयरों) और मीट उत्पादन (ब्रोयलरों) के लिए किया जाता है । विधि आयोग ने इस रिपोर्ट में दोनों, अंडा देने वालों (लेयरों और ब्रोयलरों) से संबंधित विषयों की परीक्षा की है । विनिर्दिष्ट रूप से अंडा देने वाले पक्षियों में विषय नर चिकों का व्ययन करने और अंडा देने वाली मुर्गियों के घर से संबंधित हैं । ब्रोयलरों की दशा में पक्षियों के विशेषता चयन, आवास, परिवहन और वध संबंधी विषयों की परीक्षा की गई है ।

1.5 सिफारिशें अंडा देने वाली मुर्गियों (लेयरों) और मीट का उत्पादन करने वाली मुर्गियों (ब्रोयलरों)-दोनों के लिए हैं । यह देखा गया है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने 'पशुओं (अंडा देने वाली मुर्गियों) के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2012 का प्रारूप तैयार किया था, जिसमें पर्यावरण और वन मंत्रालय से प्रारूप नियमों को, जैसे वे 27 दिसंबर, 2012 को थे' अधिसूचित करने की सिफारिश की गई थी । तथापि प्रारूप नियम अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए हैं ।

1.6 प्रस्तुत रिपोर्ट प्रारूप नियमों के दो सेटों के साथ समाप्त होती है, पशुओं (अंडा देने वाली मुर्गियों) के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, जो भारत के पशु कल्याण बोर्ड के 2012 के प्रारूप नियमों का उपांतरित पाठ हैं । उपांतरण पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के उद्देश्यों, संवैधानिक उपबंधों और अन्य देशों में सर्वोत्तम पद्धतियों के आधार पर हैं । दूसरे प्रारूप नियम मीट उत्पन्न करने वाले चिकन के संबंध में 'पशुओं (ब्रोयलर चिकन) के प्रति क्रूरता का निवारण नियम के बारे में कार्रवाई का प्रस्ताव करते हैं ।

अध्याय 2

भारत में कुक्कुट की आवास-व्यवस्था और परिवहन को शासित करने वाला संवैधानिक और विधिक ढांचा

क. संविधान :

2.1 संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं । भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराजा और अन्य[7] (जल्लीकट्टू मामला) में संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन गारंटीकृत अधिकारों का सभी जीवित प्राणियों तक विस्तार किया है ।

2.2 उच्चतम न्यायालय ने जल्लीकट्टू मामले में प्रत्येक पशु के, संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन, निजी योग्यता, सम्मान और गरिमा के साथ जीने के अधिकार पर जोर दिया था । जीवन के अधिकार का विस्तार किया गया संरक्षण अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सभी प्राणियों के लिए अधिकारों के एक समूह की अनुज्ञा देने के लिए था । उस मामले में यह कहा गया था कि ''पशुओं का भी सम्मान और गरिमा होती है, जिससे उन्हें मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा सकता और उनके अधिकारों तथा निजीपन का आदर करना होगा और उन्हें अविधिपूर्ण आक्रमणों से संरक्षित करना होगा ।''

2.3 राज्य को, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अधीन, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधारों पर संगठित करने का परमादेश दिया गया है ।[8] इसके

[7] (2014) 7 एससीसी 547 ।

[8] अनुच्छेद 48, भारत का संविधान, 1950 ।

अतिरिक्त संविधान राज्य को पर्यावरण का संरक्षण करने, उसमें सुधार करने और देश के वन तथा वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए प्रयास करने का भी परमादेश देता है ।[9]

2.4 संविधान के अनुच्छेद 51क(छ) के अधीन प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य होगा कि वह ''प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे'' ।

ख. कानून :

2.5 संसद् ने पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करने और खाद्य मानकों और सुरक्षा को बनाए रखने को सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित कानूनों के माध्यम से कानूनी ढांचे में सामन्जस्य करना चाहा है ।

2.6 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम कहा गया है) पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचाने के निवारणार्थ अधिनियमित किया गया है और पशुओं के भारसाधक व्यक्तियों पर उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करने का उत्तरदायित्व अधिकथित करता है ।[10] यह पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिए कि कल्याण मानक कार्यान्वित किए जाते हैं और यह कि पशुओं का शोषण नहीं किया जाता है, नियम बनाने के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना के लिए उपबंध करता है ।[11]

[9] अनुच्छेद 48क, भारत का संविधान, 1950 ।

[10] धारा 3, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम ।

[11] धारा 4, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम ।

2.7 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा 1 यह परिभाषित करती है कि 'पशुओं के प्रति क्रूरता का व्यवहार' क्या अभिप्रेत करता है और उसका खंड (ड.) कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ''किसी पशु को किसी ऐसे पिंजरे या अन्य पात्र में रखेगा या परिरुद्ध करेगा, जिसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई इतनी पर्याप्त न हो कि पशु को उसमें हिल-डुल सकने का उचित स्थान प्राप्त हो सके'' ; या (ज) के अधीन ''किसी पशु का स्वामी होते हुए ऐसे पशु को पर्याप्त खाना, जल या आश्रय नहीं देगा'' ; अथवा (ट) के अधीन ''किसी ऐसे पशु को विक्रय के लिए प्रस्तुत करेगा या बिना उचित कारण के अपने कब्जे में रखेगा, जो अंग-विच्छेद, भुखमरी, प्यास, अति भरण या अन्य दुर्व्यवहार के कारण पीड़ाग्रस्त हों.....'', तो वह क्रूरता के बराबर होगा और इस धारा के अधीन दंडनीय होगा ।

2.8 **राज्य विधियां** : चूंकि पशुधन का संरक्षण, सुधार और पशु रोगों का निवारण संविधान की सातवीं अनुसूची के अधीन राज्य का विषय है[12], अत: चिकन की आवास व्यवस्था और परिवहन के संबंध में कई राज्य विनिर्दिष्ट कानून और नियम हैं । निम्नलिखित राज्य विधियों के उदाहरण हैं-

2.9 **मुम्बई पशु रोग अधिनियम, 1948**, पशुओं को, जिनके अंतर्गत कुक्कुट भी हैं, प्रभावित करने वाले रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए उपबंध करता है ।

2.10 **गुजरात राज्य कुक्कुट फार्म रजिस्ट्रीकरण और विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2007**, कुक्कुट फार्मिंग से संबंधित क्रियाकलापों के रजिस्ट्रीकरण और विनियम के लिए उपबंध करता है । राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने के लिए सशक्त है कि कुक्कुट संबंधी क्रियाकलाप पर्यावरण और मानवीय स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव कारित नहीं करते हैं । अधिनियम कुक्कुट में विभिन्न रोगों का फैलना कम करने के लिए जीव-सुरक्षा उपायों के लिए उपबंध करता है ।

[12] प्रविष्टि 15, सूची 2, अनुसूची 7, भारत का संविधान, 1950 ।

2.11 **उड़ीसा पशु सांसर्गिक रोग अधिनियम, 1949** पशुओं के बीच सांसर्गिक रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था । 'पशु' शब्द की, उसके अंतर्गत पक्षियों को लाने के लिए, अधिनियम के अधीन व्यापक परिभाषा की गई है । इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पशुओं को चारे से वंचित करने या पशुओं के बीच संक्रामक रोग फैलाने या संक्रमण फैलाने को कारित करने के लिए विभिन्न शास्तियां और अपराध अधिकथित किए गए हैं । यह अन्य बातों के साथ कार्यपालिका को ऐसे मामले में अन्वेषण करने और बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, यदि वह कतिपय अपराधों में संलिप्त पाया जाए, तो शक्ति देने के लिए उपबंध करता है ।

2.12 **पंजाब पशुधन और पक्षी रोग अधिनियम, 1948** पशुधन और पक्षियों को प्रभावित करने वाले रोगों का निवारण और नियंत्रण करने के लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था और यह राज्य को अपराधियों के लिए शास्तियों के साथ कुक्कुट में किसी अनुसूचित रोग के प्रकोप या फैलने का निवारण करने के लिए उपाय करने हेतु समर्थ बनाता है । **पंजाब पशुधन विकास बोर्ड नियम, 2001** आधुनिक वैज्ञानिक और वाणिज्यिक आधारों पर पंजाब में कुक्कुट सेक्टर के चतुर्दिक विकास का संवर्धन करने के लिए बोर्ड के गठन का उपबंध करता है ।

2.13 **पंजाब कुक्कुट उत्पादन अधिनियम, 2016** कुक्कुट परिसर के रजिस्ट्रीकरण, कुक्कुट उत्पादों की गुणवत्ता के सुधार के बारे में है, जो कुक्कुट संक्रिया में जीव सुरक्षा उपायों को भी सुनिश्चित करता है ।

2.14 **राजस्थान पशु रोग अधिनियम, 1959** पशुओं, जिनके अंतर्गत कुक्कुट भी हैं, को प्रभावित करने वाले रोगों का निवारण और नियंत्रण करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था ।

ग. पशुओं के परिवहन को विनियमित करने वाले विधिक उपबंध :

2.15 खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम कहा गया है), (अधिसूचना-फा0 सं0 2-15015/30/2010, तारीख 01.02.2011) को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कहा गया है') की धारा 31 के साथ पठित धारा 92(2)(ण) के अधीन बनाया गया है । खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पशुओं के साथ वध पूर्व व्यवहार करने के लिए, विशेष रूप से पशुओं के परिवहन के संबंध में, कतिपय मार्गदर्शक सिद्धांतों को अधिकथित करता है । भाग 4, नियम 6.4(क)(1) में अंतर्विष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत, अन्य बातों के साथ उपबंध करते हैं,-

> अच्छी दशा में केवल स्वस्थ्य पशुओं का अर्हित पशु चिकित्सा निरीक्षक द्वारा सत्यापन किए जाने और प्रमाणित किए जाने के पश्चात् परिवहन किया जाएगा । किसी रोगयुक्त क्षेत्र से रोगमुक्त क्षेत्रों में पशुओं का परिवहन संरक्षात्मक टीकाकरण और तीस दिन के संघरोध के उपबंध के साथ, आगे और परिवहन के पूर्व, आवश्यक होगा ; गर्भ के विकसित प्रक्रम पर मादा पशुओं को परिवहित नहीं किया जाएगा ; सभी पशुओं के साथ मानवोचित व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें खड़े होने या लेटने के लिए, यात्रा के दौरान पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए ; हल्का भोजन कराया जाना चाहिए ; नियमित अंतरालों पर पानी पिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए ; उनके साथ प्राथमिक उपचार के साधन वाला एक परिचारक होगा और अत्यधिक तापमानों के दौरान उन्हें लादने से बचा जाना चाहिए ; सुरक्षा के लिए निरीक्षण किया जाना चाहिए जैसे फर्श, दीवारें टूटी न हों, उपयुक्तता सुनिश्चित की जानी चाहिए,

जैसे पशुओं को लादने से पूर्व मौसम की दशाओं आदि से बचाने के लिए उन्हें ढकना आदेशात्मक है ।

2.16 पशुओं का परिवहन नियम, 1978 ('1978 के नियम') : 1978 के नियम का अध्याय 7 (जिसे 2001 के संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है) विनिर्दिष्ट रूप से कुक्कुट के परिवहन के बारे में उपबंध करता है । 1978 के नियम निम्नलिखित उपबंध करते हैं-

(i) नियम 79(क) अधिकथित करता है कि केवल स्वस्थ और अच्छी दशा में ऐसे पक्षियों का, जिनकी पशु-चिकित्सक द्वारा आरोग्यता के लिए परीक्षा की गई हो और उन्हें प्रमाणित किया गया हो, परिवहन किया जाएगा ।

(ii) नियम 79(ग) और (घ) अधिकथित करते हैं कि परिवहित किए जाने वाले पक्षियों को परिवहन के लिए आधानों में रखे जाने के पूर्व खिलाया जाएगा और पानी पिलाया जाएगा और उन्हें परिवहन के दौरान खिलाया जाएगा और पानी पिलाया जाएगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक 6 घंटों में उन्हें पानी पिलाया जाए ।

(iii) नियम 80 अधिकथित करता है कि सड़क मार्ग द्वारा यात्रा की दशा में आधान एक-दूसरे के ऊपर नहीं रखे जाएंगे और उन्हें इस प्रकार उपयुक्त क्रम में आच्छादित किया जाएगा कि उनमें प्रकाश, संवातन का प्रबंध हो और वे वर्षा, गर्मी और शीत वायु से सुरक्षित हो सकें ।

(iv) नियम 81 अधिकथित करता है कि रेल द्वारा यात्रा की दशा में 12 घंटों से अधिक की यात्रा में पारेषण के साथ एक परिचारक होगा । संवातन और मौसम से सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी और ऐसी किसी अन्य पण्य

वस्तु को (जिसके कारण पक्षियों की मृत्यु हो सकती है) उसी वेगन में नहीं लादा जाएगा ।

(v) नियम 82 अधिकथित करता है कि वायु मार्ग द्वारा यात्रा की दशा में कुक्कुट ले जाने वाले आधानों को दरवाजों के समीप रखा जाएगा और पहुंचने के तत्काल पश्चात् उतार लिया जाएगा ।

(vi) नियम 83 आधानों के लिए विनिर्देशों को अधिकथित करता है- आधानों के आकार एक मास के चिकिन, तीन मास के चिकिन और वयस्क स्टॉक, हंस और पाताल मयूर, चिकिन, कुक्कुट और पक्षियों के लिए प्रति आधान । यह चिकिन और कुक्कुटों के लिए आधानों की विशेष अपेक्षाएं भी अधिकथित करता है जैसे आधान के निचले भाग पर तार की जाली या जाली के उपयोग का प्रतिषेध, यान के साथ समुचित रूप से सुरक्षित होंगे, उन पर समुचित रूप से लेबल लगे होंगे, छह घंटे से अधिक के लिए परिवहन नहीं किया जाएगा, परिवहन को तीस मिनट से अधिक के लिए खड़ा नहीं रखा जाएगा और परिवहन में अग्निशामक की व्यवस्था का उपबंध किया जाएगा ।

2.17 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 546(अ), तारीख 8 जुलाई, 2015 द्वारा केंद्रीय मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2015 द्वारा केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का संशोधन किया था और उसमें नियम 125ड. को जोड़ा था, जो उपबंध करता है कि पशुधन का परिवहन करने वाले मोटर यानों की बाडी में स्थायी विभाजन होंगे, जिससे प्रत्येक विभाजन में जानवरों को व्यष्टिक रूप से ले जाया जाए, जिसमें कुक्कुट की दशा में विभाजन का आकार 40 वर्ग सेंटीमीटर से कम नहीं होगा । तथापि उपबंधित स्थान अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है ।

घ. अंतरराष्ट्रीय बाध्यताएं और वैश्विक रूप से मान्यताप्राप्त कुक्कुट अधिकार :

2.18 विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन पशु कल्याण को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करता है :

> "पशु कल्याण से अभिप्रेत है कि कैसे पशु उन दशाओं के साथ सहयोग कर रहा है, जिसमें वह रहता है । कोई पशु कल्याण की अच्छी स्थिति में है यदि (जैसा वैज्ञानिक साक्ष्य द्वारा निदर्शित किया गया है) वह स्वस्थ, सुखी, पूर्णत: पोषित, सुरक्षित, स्वाभाविक व्यवहार को प्रकट करने में समर्थ है और वह असुखद स्थितियों से, जैसे पीड़ा, भय और निराशा से पीड़ित नहीं है । अच्छा पशु कल्याण रोग के निवारण और पशु उपचार, समुचित शरण, प्रबंध, पोषण, मानवोचित व्यवहार और मानवोचित वध या हत्या की अपेक्षा करता है । पशु कल्याण पशु की स्थिति के प्रति निर्देश करता है ; वह व्यवहार, जो कोई पशु प्राप्त करता है, अन्य निबंधनों जैसे पशु देखभाल, पशु पालन और मानवोचित व्यवहार के अंतर्गत आता है ।"

2.19 भारत विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का सदस्य है । पशु कल्याण पर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के निर्देशक सिद्धांत, जो सार्वभौमिक रूप से मान्यताप्राप्त "पांच स्वतंत्रताओं"[13] को सम्मिलित करते हैं, मानव नियंत्रण के अधीन पशुओं के कल्याण के अधिकार का संप्रवर्तन करने के लिए 1965 में प्रकाशित किए गए थे । इस संकल्पना के अनुसार किसी पशु की प्राथमिक कल्याण संबंधी आवश्यकताएं निम्नलिखित का उपबंध करके पूरी की जा सकती हैं :

- भूख, कुपोषण और प्यास से स्वतंत्रता ;
- डर और निराशा से स्वतंत्रता ;

[13] विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, पशु कल्याण http://www.oie.int/en/animal-welfare/animal-welfare-at-a-glance/ अप्रैल 13, 2017 को पहुंच ।

- शारीरिक और ऊष्मीय असुविधा से स्वतंत्रता ;
- पीड़ा, क्षति और रोग से स्वतंत्रता ; और
- व्यवहार के सामान्य तरीकों को प्रकट करने की स्वतंत्रता ।

2.20 इन पांच मौलिक अधिकारों की भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा ए. नागराजा[14] मामले में पुष्टि की गई है । वे पशु कल्याण को ऐसी दशा के रूप में वर्णित करते हैं, जहां पशु, कल्याण की अच्छी स्थिति में है, यदि (जैसा वैज्ञानिक साक्ष्य द्वारा निदर्शित किया गया है) वह स्वस्थ, सुखी, अच्छी तरह पोषित, सुरक्षित, स्वाभाविक व्यवहार प्रकट करने में समर्थ है और यदि वह पीड़ा, भय और निराशा जैसी असुखद स्वास्थ्य संबंधी दशाओं से पीड़ित नहीं है।

2.21 उच्चतम न्यायालय ने ऊपर वर्णित सिद्धांतों का संज्ञान लिया और उन पर टी.एन. गोदावर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ[15] ; टी.एन. गोदावर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ[16] और सेंटर फार एनवाइरनमेंटल ला वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया बनाम भारत संघ[17] में पुन: जोर दिया ।

2.22 कल्याण क्वालिटी परियोजना, जिसको यूरोपीय आयोग द्वारा निधि दी गई है, ने कुक्कुट के कल्याण का निर्धारण करने के लिए बारह मापदंडों का सुझाव दिया है । उनके द्वारा सुझाए गए मापदंड हैं - लंबी भूख से अनुपस्थिति, लंबी प्यास से अनुपस्थिति, विश्राम के लिए सुविधा, तापमान संबंधी सुविधा, संचलन की सहजता, क्षतियों की अनुपस्थिति, रोगों की अनुपस्थिति, प्रबंधीय प्रक्रियाओं द्वारा दी जाने वाली पीड़ा से अनुपस्थिति, सामाजिक व्यवहार का प्रकटन, अन्य व्यवहार का प्रकटन, अच्छा मानव पशु संबंध और सकारात्मक

[14] उपरोक्त टिप्पण 7 ।
[15] (2012) 3 एससीसी 277 ।
[16] (2012) 4 एससीसी 362 ।
[17] (2013) 8 एससीसी 234 ।

भावनात्मक स्थिति ।[18] ये मापदंड खाद्य क्वालिटी संकल्पना के साथ पशु कल्याण को जोड़कर कुक्कुट की शारीरिक और मानसिक भलाई को सम्मिलित करते हैं ।

ड. पशु कल्याण से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय :

2.23 उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराजा[19] में अभिनिर्धारित किया कि पशुओं को गरिमा, निजी योग्यता और अनावश्यक पीड़ा और यातना के बिना रहने का अधिकार है । न्यायालय ने इस मामले के संबंध में कार्रवाई करते हुए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और सरकारों को निदेशित किया कि वे "पशुओं को अनावश्यक पीड़ा और यातना पहुंचाने का निवारण करने का उपाय करे, चूंकि उनके अधिकार पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा 3 और धारा 11 के अधीन कानूनी रूप से संरक्षित किए गए हैं ।"।

2.24 न्यायालय ने इस मामले में संविधान और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के प्रति निर्देश से इन विषयों के बारे में व्यापक रूप से चर्चा की है और यथा निम्नलिखित कहा है :

> "34.....अधिनियम की धारा 3 पशुओं का भारसाधन रखने वाले व्यक्तियों के कर्तव्यों के बारे में है, जो प्रकृति में आदेशात्मक हैं और इस प्रकार पशुओं को तत्संबंधी अधिकार प्रदान करती है । पशुओं को इस प्रकार प्रदान किए गए अधिकार किसी कर्तव्य के विरोधी हैं और यदि उन अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है तो, विधि उन अधिकारों को कानूनी अनुशास्ति के साथ प्रवर्तित करेगी.....।

---

[18] कुक्कुट पालन के लिए कल्याण क्वालिटी निर्धारण प्रोटोकाल, http://www.welfarequalitynetwork.net/downloadattachment/45627/21652/Poultry%20Protocol.pdf पर उपलब्ध है (जून, 26, 2017 को अंतिम बार देखा गया) ।

[19] उपरोक्त टिप्पण 7 ।

.....पशुओं के भारसाधन में या उनकी देखभाल करने वाले व्यक्तियों का प्राथमिक कर्तव्य पशुओं का कल्याण सुनिश्चित करना है । 'कल्याण' से सुखद, स्वस्थ या प्रसन्न होने की स्थिति है.....

42. धारा 3 और धारा 11, जैसा कि पहले ही निदर्शित किया जा चुका है, अत: जल्ली कट्टू या बैलगाड़ियों की दौड़ के आयोजनकर्ताओं को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती हैं, किन्तु कर्तव्य, उत्तरदायित्व और बाध्यताएं प्रदान करती हैं, किन्तु पशुओं को तत्संबंधी अधिकार प्रदान करती हैं । धारा 3, धारा 11(1)(क) और (ण) और अन्य संबंधी उपबंधों को संविधान के अनुच्छेद 51क(छ) के साथ समझा जाना और पढ़ा जाना है, जो प्रत्येक नागरिक को 'प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव' रखने का मूल कर्तव्य सौंपता है । संसद् ने, अनुच्छेद 51क(छ) को सम्मिलित करके प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति, जिनमें स्पष्ट रूप से बैल भी सम्मिलित है, मनुष्यों के मूल कर्तव्यों को पुन: दोहराया है और उन पर पुन: जोर दिया है । सभी प्राणियों की अंतर्निहित गरिमा है और उन्हें शांतिपूर्वक जीने का अधिकार है तथा अपने कल्याण का संरक्षण करने का, जिसमें उन्हें पीटने, ठोकर मारने, उन पर अत्यधिक सवारी करने, उन पर अत्यधिक भार लादने, उन्हें यंत्रणा, दर्द और पीड़ा पहुंचाने आदि से संरक्षण भी सम्मिलित है, अधिकार है । मानव जीवन, हम बहुधा कहते हैं, पशु अस्तित्व के समान नहीं हैं, एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो नर केंद्रित पक्षपात रखता है और यह तथ्य भूल जाता है कि पशुओं की भी निजी योग्यता और उनका मूल्य है । पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा 3 ने उन अधिकारों को अभिस्वीकार किया है और धारा 11 के साथ वह धारा पशुओं का भारसाधन रखने वाले या उनकी देखरेख करने वाले व्यक्तियों पर पशुओं का कल्याण सुनिश्चित करने के युक्तियुक्त उपाय करने और उन्हें अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचाने का निवारण करने के लिए सभी समुचित उपाय करने का कर्तव्य सौंपती है ।''

2.25 उच्चतम न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरेशी कसाब जमात और अन्य[20] में यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 51(छ) को अधिनियमित करके और इसे मूल कर्तव्य की प्रास्थिति देकर उन उद्देश्यों में से, जिन्हें संसद् ने प्राप्त करना चाहा है, एक यह सुनिश्चित करना है कि अनुच्छेद 48 और 48क की आत्मा और संदेश का प्रत्येक नागरिक द्वारा मूल्य कर्तव्य के रूप में सम्मान किया जाए । अनुच्छेद 51क(छ), अत:, इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वह 'प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे', जिसका अभिप्राय यातना, सहानुभूति, दयाभाव आदि के लिए चिन्ता है और जिसे पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा 3 (उन व्यक्तियों के कर्तव्य, जिनके भारसाधन में पशु है) धारा 11(1)(क) और (ड) (पशुओं के प्रति क्रूरता का व्यवहार) और धारा 22 (करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन और प्रशिक्षण पर निर्बंधन) आदि के साथ पढ़ा जाना है ।[21]

2.26 उच्चतम न्यायालय ने, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फाइल की गई अंतरण याचिका की सुनवाई करते हुए, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों से उन चार रिट याचिकाओं का एक न्यायालय में अंतरण करने के लिए प्रार्थना की गई थी, जिनमें अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए बैटरी पिंजरों को समयबद्ध रूप से समाप्त करने और पिंजरा मुक्त मानव विकल्प को प्रारंभ करने लिए प्रार्थना की गई थी, अभिनिर्धारित किया कि 'हम भारत सरकार से प्रस्तावित बैठक को संयोजित करने और नियमों को बनाने की प्रक्रिया शीघ्र करने और इस विषय पर आगे की उद्घटनाओं को दिल्ली के उच्च न्यायालय को, उसको मामलों का

[20] (2005) 8 एससीसी 534 ।

[21] कंपैशन अनलिमिटेड प्लस ऐक्शन बनाम भारत संघ (2016) 3 एससीसी 85 (पैराग्राफ 67)

अंतरण हो जाने पर, रिपोर्ट करने की आशा करते हैं ।[22] उक्त रिट याचिकाएं इस समय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं ।[23]

2.27 उच्चतम न्यायालय ने 2001 की रिट याचिका सं0 330, कामन काज, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी बनाम भारत संघ का तारीख 17.2.2017 के आदेश द्वारा निपटारा किया, जिसमें उसने परिवहन और वध के दौरान पशुओं के साथ अवैध व्यवहार के विषय पर विचार करते हुए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए भारतीय मानकों के सार-संग्रह का अनुपालन करने का निर्देश दिया ।

च. पशु कल्याण से संबंधित उच्च न्यायालय के निर्णय

2.28 मद्रास उच्च न्यायालय ने कन्नन बनाम पुलिस आयुक्त[24] में यह अभिनिर्धारित किया है कि सभी प्रकार के पक्षियों को, जिनके अंतर्गत कुक्कुट हैं, किसी भी रीति की क्रूरता के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाएगा और यह कहा है कि "पक्षी और पशु मनुष्यों के साथ सह-अस्तित्व के हकदार है ।" न्यायालय ने मुर्गों की लड़ाई और किसी अन्य पक्षी या पशु की लड़ाई को दर्शकों के आनन्द के लिए प्रतिषिद्ध करने के आदेश भी जारी किए हैं ।

2.29 गुजरात उच्च न्यायालय ने मो0 भाई जालाभाई सेरासिया बनाम गुजरात राज्य[25] में यह अभिनिर्धारित किया है कि पक्षियों को पिंजरों में रखना पक्षियों को अवैध रूप से परिरुद्ध करने के बराबर होगा, जो कि पक्षियों के स्वतंत्र वायु/आकाश में रहने के अधिकार के अतिक्रमण में है । इसके द्वारा उच्च न्यायालय ने ऐसे अवैध रूप से परिरुद्ध पक्षियों को खुले आकाश/वायु में निर्मुक्त करने के लिए आदेश दिया । गुजरात उच्च न्यायालय ने

[22] 2016 की अंतरण याचिका (सिविल) सं0 1095-1098 ।

[23] डब्ल्यूपी 9056/2016, डब्ल्यूपी 9622/2016, डब्ल्यूपी 9630/2016 एंड डब्ल्यूपी 10990/2016 ।

[24] 2014 का डब्ल्यू पी (एमडी) सं0 8040 ।

[25] 2015 जेएक्स (गुज.) 378:2014

अब्दुलकदार मोहम्मद आजम शेख बनाम गुजरात राज्य[26] में वैसे ही विचार यह कहते हुए व्यक्त किए कि "प्रत्येक नागरिक का यह देखने का कर्तव्य है कि किसी भी पशु या पक्षी को अनावश्यक पीड़ा या यातना नहीं पहुंचती है" ।

2.30 टेट्रागोन चिमाई बनाम सीसीई और अन्य[27] में सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कुक्कुट दाने में न केवल वह खाना सम्मिलित होना चाहिए जो उनकी उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, किन्तु वह खाना भी होना चाहिए, जो उनके संवर्धन और विकास के लिए आवश्यक है ।

2.31 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 26.9.2007 को सिविल रिट याचिका सं0 4499/2012 और सिविल रिट याचिका सं0 5076/2012 के साथ 2011 की सिविल रिट याचिका सं0 9257 में पशु बलिदान का प्रतिषेध किया और महात्मा गांधी के शब्दों को उद्धृत किया :

> "किसी राष्ट्र की नैतिक उन्नति और शक्ति का निर्णय उस देखभाल और दयाभाव से किया जा सकता है जो वह अपने पशुओं के प्रति दर्शित करता है ।"

2.32 दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीपुल्स फार एनिमल्स बनाम एम डी मोहाज्जिम और अन्य[28] के मामले में अभिनिर्धारित किया कि :

> "..... पक्षियों को मूल अधिकार हैं, जिनके अंतर्गत गरिमा के साथ रहने का अधिकार है और उनके साथ किसी के द्वारा क्रूरता नहीं की जा सकती (.....) मनुष्यों को उन्हें अपने कारबार के प्रयोजनों के लिए या अन्यथा छोटे पिंजरों में रखने का कोई अधिकार नहीं है ।"

---

[26] (सीआर.ए/1635/2010)

[27] 1999 (63) ईसीसी 709

[28] 15 मई, 2015, दिल्ली उच्च न्यायालय, सीआरएल.एम.सी. 20151/2015 को विनिश्चित (एमएएनयू/डीई/2074/2015)

अध्याय 3

लेयरों और ब्रायलरों की आवास-व्यवस्था

क. लेयर :

3.1 संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत विश्व में अंडों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो 65 अरब अंडों से अधिक उत्पन्न करता है ।[29] भारत में यह उद्योग 1950 - 60 से पीछे प्रांगण में कुक्कुट पालन, 1995 में ऊंचे प्लेटफार्म वाले पिंजरों से 2011 में नीचे खंडों में विभाजित किए जाने वाले कक्षों के साथ उच्च सामर्थ वाले फार्मों, स्वचालित खाना खिलायी जाने वाली तकनीकों और पर्यावरणीय रूप से नियंत्रित घरों तक में विकसित हुआ है ।[30]

3.2 लेयर फार्मिंग तकनीकों में इस विकास ने संपूर्ण देश में फार्मिंग के विभिन्न प्रकारों का मार्ग प्रशस्त किया है । कुक्कुट पालन उद्योग आकर्षक और अत्यधिक प्रतियोगी हो गया है । उद्योग के आर्थिक कारक उपभोक्ता के क्वालिटी मानकों के साथ समझौता किए बिना कम लागत पर ऊंचे उत्पादन की मांग करते हैं । उत्पादन का पैमाना और तीव्रता पीछे प्रांगण वाले कुक्कुट पालन से वाणिज्यिक और औद्योगिक सेक्टरों में पर्याप्त रूप से अधिक है । बड़े पैमाने पर उत्पादन में बचतों से कुक्कुट पालन उद्योग को लाभ प्राप्त होते हैं, जो

[29] भारत सरकार ; वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार पक्षियों द्वारा अंडा उत्पादन का आकलन https://data.gov.in/resources/datails-estimates-egg-production-fowls-during-2008-09-2012-13/download

[30] इंडियन जे. एनिम. हल्थ. (2015), 54(2) : 89-108 पुनर्विलोकन लेख भारत में कुक्कुट उत्पादन का सर्वेक्षण, आर.एन.चटर्जी और यू. राजकुमार

उत्पादन प्रक्रिया में विभिन्न प्रक्रमों पर विशेषीकरण और विभाजन के लिए उपबंध करते हैं, जिससे संक्रियाओं के स्वत:चालन तथा श्रम लागत में बचाव का मार्ग प्रशस्त होता है ।[31]

3.3 इसके विरोध में ग्रामीण क्षेत्रों में पीछे प्रांगण वाली कुक्कुट फार्मिंग अभी तक पालन की पद्धतियों का पारंपरिक रूप अपनाती है । यह उत्पादन को अप्रभावी बना देती है, क्योंकि इससे पक्षी शिकारियों के लिए अनावृत्त रहते हैं और बीमारियों के प्रति उन्मुख होते हैं ।[32] आगे लगातार अनुकूलतम वातावरण की कमी से पक्षियों के बीच अंडा सेने में कमी आती है । इस प्रकार कुक्कुट फार्मिंग में देखभाल संबंधी दशाएं उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हैं । अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के क्रम में उपभोक्ता क्वालिटी मानकों की हानि करके कम लागत में पिंजरे में रखने की तकनीकें भी अनियंत्रित रूप से प्रयोग में हैं । बाजार में वर्तमान रुझान दर्शित करता है कि अंडा उत्पादन के लिए बड़े और अधिक यांत्रिक घरों के लिए छोटे घरों को त्यागा जा रहा है ।[33] पक्षियों को अन्य झुंडों और अन्य वन्य जीवों के साथ किसी संपर्क के बिना मुर्गी वाले घरों में रखा जाता है । परिणामस्वरूप, पक्षियों की प्रतिरक्षा कम होती है और अंडा उत्पादन में जैव सुरक्षा को संकटपूर्ण कारक बनाती है ।

3.4 अंडा उद्योग में अंडों के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली मुर्गियों का छोटे, अनुर्वर तारों के पिंजरों में, जिन्हें 'बैटरी पिंजरा' कहा जाता है, जो नाम आसपास रखे गए पिंजरों की व्यवस्था के कारण दिया गया है, पालन पोषण किया जाता है । बैटरी पिंजरे इतने छोटे होते हैं कि पशु सीधे खड़े होने में या पिंजरों के हाशियों को या अन्य मुर्गियों को छुए बिना अपने पंख फैलाने में या बिना किसी बाधा के चारों तरफ घूमने में असमर्थ होते हैं ।

---

[31] http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/31498/animal-rights-campaigners-highlight-welfare-issues-in-indian-egg-industry/

[32] कुक्कुट फार्मिंग में फार्म संक्रियाओं से संबंधित समस्याएं, जैसा उन्हें फार्म से संबंधित स्त्रियों ने देखा है, http://www.veterinaryworld.org/Vol.2/May/Problems%20related%20farm%20operations%20in%20poultry%20farming%20as%20pe.pdf

[33] https://www.forbes.com/sites/jamesmcwilliams/2013/10/23/small-free-range-egg-producers-cant-escape-problems-of-factory-farms/#504cbea021f2

प्रत्येक मुर्गी के लिए उपलब्ध जमीन की सतह लगभग 623.7 सेंटीमीटर होती है, जो करीब-करीब ए-4 आकार के पेपर की सीट के बराबर के आकार की होती है । अत्यधिक सामान्य पिंजरों में 5-10 पक्षी होते हैं । हमारे देश में अंडे के ऐसे विशिष्ट फार्म होते हैं, जिनमें हजारों पिंजरे होते हैं, जिनमें दसियों हजार पक्षी होते हैं, जिनका बहुल ऊंचाई वाली परतों में ढेर लगाया जाता है और उन्हें कतारों में पंक्तिबद्ध किया जाता है ।

3.5 मुर्गियों को इकट्ठा करने की इस पद्धति से पक्षियों के पैरों में घाव हो जाते हैं, छोटी और बड़ी खरोंचे हो जाती हैं, हड्डी टूट जाती हैं और अन्य शारीरिक क्षति होती हैं । इससे झुंड में बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है ।[34] दि पीपुल फार इथीकल ट्रीटमेंट आफ एनिमल्स (पेटा) ने भारत में कुक्कुट पालन की दशाओं पर सूचना भेजी है और उनसे संबंधित विभिन्न विषयों को संबोधित किया है । आयोग ने 'प्रारूप नियम' बनाते समय उसका ध्यान रखा है । इसके अतिरिक्त जलवायु संबंधी दशाएं, जैसे तापमान और आर्द्रता अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । उच्चतर तापमान से उत्पादकता कम होती है । अत: पक्षियों को सामान्यतया भारत में कुक्कुट फार्मों में स्थिर तापमान पर रखा जाता है । इसका निचला पक्ष यह है कि पक्षी थोड़ी सी भी परिवर्तित जलवायु संबंधी दशाओं में बीमारियों के प्रति अधिक ग्रहणशील होते हैं और इससे उनकी उत्तरजीविता के अवसरों पर प्रभाव पड़ता है । परिणामस्वरूप उन्हें उनकी प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए प्रतिजीवाणुओं को खिलाया जाता है ।

3.6 बैटरी पिंजरों में पक्षियों को परिरुद्ध करने की क्रूर पद्धतियों को कम करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि पिंजरा मुक्त वातावरण में मुर्गियों की स्वस्थ फार्मिंग से प्राप्त उत्पादन और बैटरी पिंजरों में फार्मिंग से प्राप्त उत्पादन के बीच विभाजन किया जाए । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्यों के पशुपालन विभागों से प्रमाणीकरण, इस बात को मान्यता देते हुए कि

[34] http://www.hindustantimes.com/mumbai-news/wired-cages-in-poultry-farms-killing-hens-in-india-shows-survey/story-KM7d0UZDnxsBc8TDpKvpM.html

कुक्कुट फार्म पिंजरा मुक्त अंडे की फार्मिंग की पद्धति को अपनाते हैं, वांछनीय है । यह उपभोक्ता को स्वस्थ फार्मिंग से प्राप्त होने वाले उत्पादन के चयन में समर्थ बनाएगा और परिणामस्वरूप बैटरी फार्मिंग हतोत्साहित होगी ।

3.7 यह भी महत्वपूर्ण है कि उपयोग किया गया खाद्य पुष्टिकारक, स्वादिष्ट और प्रतिजीवाणुओं से रिक्त होना चाहिए, क्योंकि इससे उपभोक्ता के खाद्य क्वालिटी मानक पर प्रभाव पड़ता है, जिसे सभी देशों में बनाए रखा जाना अपेक्षित है । भारत में इस समय कुक्कुटों के लिए खाद्य के मानक, क्वालिटी और मात्रा विहित करने के लिए कोई कानूनी विनियम नहीं हैं, जिससे कुक्कुट खाद्य में प्रतिजीवाणुओं का अनियंत्रित रूप से उपयोग हो रहा है ।

3.8 विधि आयोग को इस विषय पर सुझाव आमंत्रित करने वाली सूचना के उत्तर में बहुत सारे उत्तर प्राप्त हुए हैं । **टाटा मेमोरियल सेंटर**, मुम्बई से प्राप्त उत्तर के अनुसार बहुत से भारतीय प्रतिजीवाणु संबंधी प्रतिरोध से पीड़ित हैं । केंद्र दावा करता है कि यह सिद्ध कर दिया गया है कि कुक्कुटों को दिए गए गैर रोगनाशक प्रतिजीवाणु ऐसा प्रतिरोध कारित करते हैं और ऐसे प्रतिजीवाणु कुक्कुटों को दिए जाते हैं क्योंकि उनकी रहने वाली दशाएं प्रतिबंधित और अस्वास्थ्यकर हैं । यह आगे कहता है कि अधिक खुले हुए, साफ और संवातित रहने वाले स्थान में पशुओं को इन लगातार प्रतिजीवाणुओं की कम आवश्यकता होने की संभावना है, जिससे कि उनके अंडे और मांस मानव उपभोग के लिए अधिक सुरक्षित होगा । यहां ऊपर प्रकट किए गए विचार टालेफ्शन, आल्टक्रूज और पोटर जैसे विशेषज्ञों के विभिन्न लेखनों द्वारा पूर्णतया समर्थित हैं ।[35]

[35] एल. टोलेफसन, एस.एफ. अल्टक्रूज और एम.ई.पोटर, ''पशु खाद्य में उपचारात्मक प्रतिजीवाणु और प्रतिजीवाणु प्रतिरोध'', रेस.साइंस.टेक.आफ.इन्ट.एपिज. 1997 16(2), 7090715

3.9 इस संबंध में केंद्रीय सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने ही सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पशुपालन विभाग को 3 जून, 2014 को सलाह/अनुदेश जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है :

> "2. ..... प्रतिजीवाणुओं को मांस, दूध और अंडा उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले कुक्कुटों और पशुओं के नियमित खाद्य के लिए खाद्य पूर्व मिश्रण के रूप में भी उपयोग किया जाता है । प्रतिजीवाणुओं के इस प्रकार के नियमित खाद्य में उपयोग के मनुष्यों के लिए गंभीर परिणाम होते हैं क्योंकि प्रतिजीवाणुओं के अवशेष मांस, दूध और अंडों में इकट्ठे हो सकते हैं । प्रतिजीवाणु संदूषित मांस, दूध और अंडों का उपभोग मनुष्यों और पशुओं दोनों में प्रतिजीवाणु संबंधी प्रतिरोध विकसित कर सकता है । इस प्रकार के प्रतिजीवाणुओं के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और इस संबंध में फार्मरों/उद्योगों और खाद्य विनिर्माताओं को पशु खाद्य के लिए प्रतिजीवाणुओं का उपयोग न करने के लिए सलाह दी जानी चाहिए/शिक्षित किया जाना चाहिए ।
>
> 3. आगे विकास संप्रवर्तकों के रूप में हार्मोनों का प्रयोग भी, जिनका खाद्य उत्पादन करने वाले पशुओं में उपयोग किया जाता है, बंद किया जाना चाहिए क्योंकि वह मानव और कृषि जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव रखता है" ।

केंद्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों से राज्य पशु चिकित्सकों, खाद्य विनिर्माताओं और उन व्यक्तियों से, जो पशुओं के उपचार में अंतर्वलित हैं, बीमार खाद्य उत्पन्न करने वाले पशुओं के उपचार के लिए प्रतिजीवाणुओं और हार्मोनों के न्यायिक उपयोग के लिए सलाह देने के लिए कहा है ।

3.10 भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने तारीख 16.2.2012 के पत्र द्वारा ब्यौरेवार बताया है/ स्पष्ट किया है कि मुर्गियों को बैटरी पिंजरों में परिरुद्ध करना पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण

अधिनियम की धारा 11(1)(ड.) के उपबंधों का अतिक्रमण करता है । पत्र का सुसंगत भाग इस प्रकार है :

"अंडा देने वाले पक्षियों के कल्याण और खाद्य सुरक्षा के विषय पर विचार करते हुए, आपको ज्ञात होगा कि यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी, 2012 से अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए बैटरी पिंजरों को समयबद्ध रूप से समाप्त करने का विनिश्चय किया है । ये निदेश सभी 27 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों को लागू होते हैं ; तथापि कुछ यूरोपीय देशों ने फार्म पशु संरक्षण के लिए अधिक कठोर मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाने को अधिमान दिया है । उदाहरण के लिए स्विटजरलैंड में बैटरी पिंजरों का 1992 से प्रतिषेध किया गया है ।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड भारत सरकार और राज्य सरकारों को अंडा उत्पादन में बैटरी पिंजरों के उपयोग का प्रतिषेध करने के लिए कुक्कुट फार्मरों को उचित निदेश जारी करने की सलाह देता है, जिससे कि अंडा देने वाली मुर्गियों को रखने वाले कुक्कुट फार्म पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के उपबंधों का पालन करे और पक्षियों को पिंजरों में परिरुद्ध न करे । विद्यमान पिंजरा प्रसुविधाएं अगले पांच वर्षों के भीतर अर्थात् 2017 तक समयबद्ध रूप से समाप्त कर दी जाएं ।

केंद्रीय और राज्य सरकारों को भारतीय खाद्य सेक्टर के भीतर पशु कल्याण और पर्यावरण बनाए रखने संबंधी योग्यता को ऐसी उत्पादन प्रणालियों का संवर्धन करके, जो पशु कल्याण के लिए आधुनिक मानकों का (जो पांच स्वतंत्रताओं द्वारा दर्शित किए गए हैं) और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का अनुपालन करती हैं, प्रोत्साहित करना चाहिए"।

क. यूरोपीय संघ और अन्य देशों में पद्धतियां :

i. यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों ने बैटरी पिंजरों का उपयोग समयबद्ध रूप से समाप्त कर दिया है ;

ii. संयुक्त राज्य अमरीका : कैलिफोर्निया, मिशिगन, ओहायो, आर्गन और वाशिंगटन राज्यों ने अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए बैटरी पिंजरों का प्रतिषेध करने या उन्हें समयबद्ध रूप से समाप्त करने की नीति को अपनाया है ;

iii. भूटान : 2013 में, भूटान ने स्वयं को पिंजरा-मुक्त देश घोषित किया ।

ख. अंडा देने वाली मुर्गियों संबंधी विनियम :

i. पशुओं (अंडा देने वाली मुर्गियों) के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2012 को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विधि आयोग ने पाया कि उनमें कुछ उपांतरणों द्वारा सुधार किया जा सकता है । ऐसे उपांतरणों को ब्यौरे वार ऐसे पर्यावरण संबंधी उपबंधों को बनाकर किया जा सकता है, जो इन पशुओं की आधारी आवश्यकताओं को पूरा करते हों । पुनरीक्षित प्रारूप नियम प्रणाली का सुप्रबंध सुनिश्चित करने के लिए पोषकों, पानी पीने के स्थानों और फर्श क्षेत्र तथा अन्य मुख्य स्रोतों के लिए स्थान संबंधी अपेक्षाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं । अन्य महत्वपूर्ण पशु कल्याण उपबंध, जिनके अंतर्गत कब और कैसे बीमार या घायल पशुओं को सुख मृत्यु देनी है, पुनरीक्षित प्रारूप नियमों में सम्मिलित किए गए हैं ;

ii. उपांतरित नियमों की संवैधानिक उपबंधों और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए सिफारिश की जाती है । पुनरीक्षित प्रारूप नियम उपाबंध-1 के रूप में संलग्न हैं ।

ख. ब्रोयलर :

3.11 गत चार दशाब्दियों से कुक्कुट कारबार पीछे के प्रांगण का कामकाज रहा है, किन्तु आज, इसका भारी उद्योग में विस्तार हो गया है । ब्रोयलर चिकन को अल्पतम समय की अवधि में अधिकतम शारीरिक वजन प्राप्त करने के लिए जन्म दिया जाता है और बड़ा किया जाता है । पक्षियों का अधिकतम खाद्य संपरिवर्तन[36] अनुपात के साथ अधिकतम वजन प्राप्त करने के लिए विशेषता चयन के द्वारा पालन-पोषण किया जाता है, पक्षियों के कल्याण का कम ध्यान रखा जाता है । शिशु कंकाल संबंधी संरचना पर मांसपेशी का तीव्र विकास ब्रोयलरों को जोड़, हड्डी और अस्थिबंध संबंधी अव्यवस्था के लिए प्रवृत्त करता है । परिणामस्वरूप ये पक्षी टांग विरूपताओं और लंगड़ेपन से पीड़ित होते हैं । पिंजरे वाले ब्रोयलरों के लिए कल्याण विवक्षाएं कई कल्याण चिंताओं को जन्म देती हैं, जैसा कि अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए बैटरी पिंजरों के बारे में कहा गया है । अत: ब्रोयलर बैटरी पिंजरों का उपयोग बंद होना चाहिए और पिंजरा-मुक्त पालन पोषण की प्रणाली को अधिमान दिया जाना चाहिए और उसमें संग्रहण, सघनता, खाद्य और स्वच्छता में सुधार किया जाना चाहिए । देखभाल से वध के लिए परिवहन किए जाने तक संपूर्ण प्रक्रिया मानवोचित होनी चाहिए ।

क. ब्रोयलर चिकन को शासित करने वाला विधिक ढांचा :

3.12 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (वधशाला) नियम, 2001 का नियम 3 किसी पशु के वध का, मान्यताप्राप्त या अनुज्ञप्त वधशालाओं में के सिवाय, प्रतिषेध करता है । अत: नियम 6 वध के पूर्व और पश्चात् कई शर्तों का उपबंध करता है, जिनके अंतर्गत हैं 'नियम 6(1) किसी पशु का अन्य पशुओं की दृष्टि में किसी वधशाला में वध नहीं किया जाएगा' और 'नियम 6(2) किसी पशु को वध से पूर्व कोई रसायन, ओषधि या हार्मोन, सिवाय किसी

[36] राबर्ट पिम. संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन । ''पोल्ट्री जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग इन डेवेलपिंग कंट्रीज'' http://www.fao.org/3/a-a1726e.pdf

विनिर्दिष्ट बीमारी या व्याधि के उपचार के लिए, नहीं दिया जाएगा ।' आगे वह वधशालाओं के लिए अपेक्षित अवसंरचनाओं को विहित करता है । इनमें से सभी खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 में सम्मिलित किए गए हैं, जो विनियमों का व्यापक सेट है । विनियम वधशाला अवसंरचना, परिसरों की स्थिति, स्वच्छता पद्धतियों, उपयोग किए जाने वाले उपस्कर और यांत्रिकी, व्यक्तिगत स्वच्छता, वध पूर्व व्यवहार, परिवहन और परिवहन के दौरान स्थान अपेक्षा, मानवीय वध पद्धतियां और मांस प्रसंस्करण यूनिटों के लिए स्वच्छता अपेक्षाओं के लिए मानकों को विहित करते हैं ।

ख. ब्रोयलर चिकन संबंधी सिफारिशें :

3.13 यह देखा गया है कि बीमारी की घटनाएं धीमें बढ़ने वाले ब्रोयलर चिकन की किस्म में सुस्पष्ट रूप में कम हुई हैं । फ्रांस ने 'लेबिल रूज' चिकन को उत्पन्न किया है । ये चिकन बारह सप्ताहों में वध वाले वजन के हो जाते हैं और टांग की बीमारी की पर्याप्त रूप से कम घटनाओं से, कम मृत्यु दर से बढ़ने की उस अवधि के बावजूद, जो उससे दुगुनी है, जहां तक रुढ़िगत ब्रोयलर चिकन का संबंध है, पीड़ित होते हैं । धीमी गति से बढ़ने वाले चिकन का उपयोग करने की प्रवृत्ति भी यूनाइटेड किंगडम और साथ ही संयुक्त राज्य अमरीका में देखी जा सकती है । अत: धीमी गति से बढ़ने वाली चिकन किस्म को ब्रोयलर उत्पादन के लिए संप्रवर्तित किया जा सकता है । यह वांछनीय है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेषीकरण चयन केवल स्वस्थ ब्रोयलर चिकन के उत्पादन के लिए ही नहीं किन्तु कल्याण केंद्रित भी है, विनियमों को अधिसूचित किए जाने के लिए शीघ्र उपाय किए जाने चाहिए ।

3.14 यह चिंता का विषय है कि संग्रहण संघनता और अन्य घर प्रबंध संबंधी दशाओं के बारे में कोई विनियम नहीं है । प्रति पक्षी उपलब्ध न्यूनतम फर्श स्थान, अधिकतम संग्रहण संघनता की परिगणना में महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए । यह आशा की जाती है कि

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड उनके पक्ष में कार्य करते हुए पशुओं के, जिनके अंतर्गत ब्रोयलर भी हैं, कल्याण के सभी विषयों को, उन समान आधारों पर, जो अंडा देने वाली मुर्गियों के नियमों में हैं, देखेगा । पशुओं (ब्रोयलर चिकन) के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2017 के सुसंगत उपबंधों के साथ ब्रोयलर पक्षियों के घर प्रबंध और संग्रहण सघनता के लिए विनियमों की सिफारिश की जाती है, जो उपाबंध-2 के रूप में संलग्न हैं ।

3.15 1978 के नियमों और साथ ही खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 को ध्यानपूर्वक देखने पर यह पाया गया है कि इन विधियों में विहित प्रक्रियाएं और मानक समाधानप्रद हैं । एक बार यदि समुचित प्राधिकारी इन नियमों और विनियमों के कठोरत: अनुपालन को सुनिश्चित कर लेता है, तो उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी । संबंधित अधिकारी की ओर से सुनिश्चित करने में असफलता उसे व्यक्तिगत रूप से ऐसे उत्तरदायी बनाएगी मानो यह उसके कर्तव्य की अवहेलना थी ।

3.16 वधशाला नियम, 2001 और साथ ही खाद्य सुरक्षा मानक विनियम, 2011 को ध्यानपूर्वक देखने पर यह पाया गया है कि इन नियमों/विनियमों में विहित प्रक्रियाएं और मानक समाधानप्रद हैं । तथापि इन नियमों/विनियमों का सड़क किनारे की मांस की दुकानों और विक्रय केंद्रों में अति स्पष्ट रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है । समुचित प्राधिकारी संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की उसकी असफलता के लिए, जिसे कर्तव्य की अवहेलना के रूप में माना जा सकता है, यदि ऐसा पाया जाता है तो, व्यवस्था करके इन विधियों के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे । इसके अतिरिक्त कसाइयों/वधिकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की जाए, जिससे कि स्वच्छता पद्धतियों का वध के दौरान अनुसरण किया जाए ।

अध्याय 4

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम में दंडों का पुनर्विलोकन

4.1 पशु कल्याण और खाद्य सुरक्षा जटिल रूप से जुड़े हुए हैं । उपभोक्ता संपूर्ण विश्व में धीरे-धीरे इस तथ्य से परिचित हो रहे हैं कि कैसे कुक्कुट और पशुओं के साथ व्यवहार किया जाए । पशु कल्याण का निर्धारण दो कसौटियों पर परीक्षा करके किया जा सकता है, अर्थात्, डिजाइन कसौटी और पशु आधारित कसौटी । डिजाइन कसौटी पर्यावरण की क्वालिटी या उस प्रकार का वर्णन करती है जिसमें पशुओं को रखा जाता है । इसके अंतर्गत बैटरी पिंजरे, फर्श स्थान, घर प्रबंध और संग्रहण सघनता आदि हैं । पशु आधारित कसौटी पशुओं के व्यवहार और मनोविज्ञान का, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य के स्तर भी हैं, मूल्यांकन करती है ।[37]

4.2 इन मानकों को संपूर्ण विश्व में मान्यता दी गई है और भारत को भी पशु कल्याण के हित में इन मानकों का पालन करने की आवश्यकता है । कुक्कुट के घर प्रबंध और संग्रहण सघनता संबंधी विनियमों का अभाव, विद्यमान नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन और उनकी ओर से, जो इस व्यवसाय में अंतर्वलित हैं, घर प्रबंध के मान्यताप्राप्त मानकों के प्रति अज्ञानता दर्शित करते हैं कि विधि में और साथ ही कार्यान्वयन प्रणाली में समुचित परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है ।

4.3 पशुओं के प्रति क्रूरता संबंधी अपराधों के लिए शास्तियां प्रत्येक अधिकारिता में भिन्न हैं, किन्तु अधिकांश देशों में उपबंध कारावास और जुर्माना के लिए उपबंध करते हैं । आगे शास्तियां पशुओं के प्रति क्रूरता के जानबूझकर और उपेक्षा से किए गए कार्यों को लागू होती हैं ।

[37] उपरोक्त टिप्पण 28 ।

4.4 यूनाइटेड किंगडम में पशुओं के प्रति क्रूरता दांडिक अपराध है, जिसके लिए किसी को छह मास तक के कारावास की सजा हो सकती है । फ्रांस में पशुओं के प्रति क्रूरता दो वर्ष के कारावास से और वित्तीय शास्ति (तीस हजार पोंड) से दंडनीय है । बंगलादेश में पशु कल्याण विधि, 2016 उपबंध करती है कि कोई भी, जो साशय किसी पशु को मारने या उसे क्षति पहुंचाने में अंतर्वलित है, कारावास का, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और पचास हजार टका के जुर्माने का या दोनों का, दंडादेश भुगतेगा ।

4.5 जापान में वेलफेयर एंड मैनेजमेंट आफ एनिमल्स ऐक्ट, 1973 (पशुओं का कल्याण और प्रबंध अधिनियम, 1973) (1993 और 2005 में संशोधित) अनुबंध करता है कि 'कोई व्यक्ति पशुओं को मारेगा नहीं, क्षति नहीं पहुंचाएगा या उनके साथ क्रूरता नहीं करेगा....', और विशिष्टतया व्यक्तियों के कब्जे में के सभी स्तनपायी जन्तुओं, पक्षियों और रेंगने वालों के प्रति; साथ ही मवेशियों, घोड़ों, बकरियों, भेड़ों, सुअरों, कुत्तों, बिल्लियों, कबूतरों, पालतु खरगोशों, मुर्गी के बच्चों और घरेलू बत्तखों के प्रति इस बात का ध्यान रखे बिना कि वे कैद में हैं, क्रूरता का अपराधीकरण करता है ।

- उचित कारण के बिना मारना या क्षति पहुंचाना : श्रम के साथ एक वर्ष का कारावास या एक लाख येन तक का जुर्माना ;
- क्रूरता, जैसे उचित कारण के बिना खाना खिलाना या पानी पिलाना बंद करके दुर्बलता कारित करना, पांच हजार येन तक का जुर्माना ;
- परित्याग : पांच हजार येन तक का जुर्माना ।

4.6 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन नियम, विस्तृत रूप से कमजोर दांडिक उपबंधों से पीड़ित हैं । जब कि अधिनियम में जुर्माने से संबंधित दांडिक उपबंध 1960 में पर्याप्त रूप से भयपरतकारी हो सकते थे, किन्तु उन उपबंधों ने बढ़ती मंहगाई के कारण अब अपना महत्व खो दिया है । जैसे कि विभिन्न अधिकारिताओं में

विधानों के अधीन धनीय शास्तियां नियमित रूप से परिवर्तित होती रहती हैं, यहां यह कहा गया है कि उक्त अधिनियम में दांडिक उपबंधों को यथोचित रूप से पुनरीक्षित किया जाना अपेक्षित है । जनता के स्वास्थ्य और कल्याण और पशुओं के पीड़ा और यातना से बचाव को, दोनों को, दृष्टि में रखते हुए अधिनियम के अधीन सभी अपराधों के लिए दंड को समुचित रूप से पुनरीक्षित किए जाने की आवश्यकता है ।

अध्याय 5

सिफारिशों का संक्षेप

5.1 आयोग ने अपनी वेबसाइट पर सभी पणधारियों से कुक्कुट के पालन पोषण, परिवहन, अनुरक्षण और विक्रय पर या इस संबंध में किसी अन्य सुसंगत विषय पर आयोग को अपने विचार भेजने के लिए अनुरोध किया था । आयोग को इस बारे में बहुत से उत्तर प्राप्त हुए हैं, जिन्हें इस रिपोर्ट के उपाबंध- 3 में संक्षेपीकृत किया गया है ।

5.2 इस रिपोर्ट में की गई सभी सिफारिशें इसमें नीचे संक्षेपीकृत की गई हैं । पशुओं के परिवहन को शासित करने वाला विद्यमान विधिक ढांचा पर्याप्त है और उसे यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा कि अभिवहन के दौरान कुक्कुट को अनावश्यक पीड़ा और यातना नहीं पहुंचाई जाती है । अनुपालन का उत्तरदायित्व पारेषक और पारेषिती पर और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 3 के अधीन उपबंधित रूप में ऐसे पारेषण के भारसाधक किसी व्यक्ति पर होगा ।

5.3 इस रिपोर्ट को बनाने का विचार ही बैटरी पिंजरों में पक्षियों को परिरुद्ध करने की क्रूर पद्धति को समाप्त करने के लिए है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह आयोग राज्यों के पशु कल्याण विभागों द्वारा, जहां पिंजरा-मुक्त अंडे की फार्मिंग से उत्पन्न और बैटरी पिंजरे की फार्मिंग से उत्पन्न उत्पाद में विभाजन किया जाता है, कुक्कुट फार्मों के प्रमाणन की सिफारिश करता है ।

5.4 बैटरी पिंजरों के विषय की गंभीरता और इस तथ्य को कि पशुओं (अंडा देने वाली मुर्गियों) के प्रति क्रूरता का निवारण नियम विधेयक, 2012 से लंबित है, ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित उपांतरित नियमों को अधिसूचित किए जाने के लिए विचार किया जाना चाहिए ।

इन नियमों को संवैधानिक उपबंधों और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम को ध्यान में रखते हुए उपांतरित किया गया है ।

5.5 अधिकतम संग्रहण सघनता की परिगणना करने में पक्षियों का वजन महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए । यह भी देखा गया है कि संग्रहण सघनता और अन्य घर प्रबंध संबंधी दशाओं के बारे में कोई विनियम नहीं है, अत: ब्रोयलर पक्षियों के घर प्रबंध और संग्रहण संघनता के लिए विनियमों में और पशुओं (ब्रोयलर चिकन) के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2017 के अन्य सुसंगत उपबंधों में आवश्यक संशोधन व्यक्त किए गए हैं ।

5.6 वधशाला नियम, 2001 और खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 को ध्यानपूर्वक देखने पर, इस आयोग की यह राय है कि इन नियमों/विनियमों में विहित प्रक्रियाएं और मानक समाधानप्रद हैं । उनका पूर्णरूप से पालन विनियमों के लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करेगा ।

5.7 उक्त अध्याय 4 के विश्लेषण की दृष्टि से यह भी सिफारिश की जाती है कि पशुओं के प्रति क्रूरता करने के लिए दंड विहित करने वाले पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के उपबंध कठोर दंडों का उपबंध करने के लिए संशोधित किए जाएं ।

[न्यायमूर्ति डा0 बी.एस. चौहान]
अध्यक्ष

[न्यायमूर्ति रवि आर. त्रिपाठी]
सदस्य

[प्रो0(डा0) एस. सिवकुमार]
सदस्य

[डा0 संजय सिंह]
सदस्य-सचिव

[सुरेश चंद्रा]
पदेन सदस्य

[जी.नारायण राजू]
पदेन सदस्य

<u>उपाबंध - 1</u>

पशुओं (अंडा देने वाली मुर्गियों) के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2017

का0आ0.....(अ)- पशुओं (अंडा देने वाली मुर्गियों) के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2017 का एक प्रारूप, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों पर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए, प्रकाशित किया जाता है ;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, अवर सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कमरा सं0.....को भेजे जा सकेंगे ।

जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा ।

अतः, केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

<u>प्रारूप नियम</u>

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं (अंडा देने वाली मुर्गियों) के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2017 है ।

(2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार.....

2. **परिभाषाएं -** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, -

(क) ''अधिनियम'' से पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है ;

(ख) ''बोर्ड'' से धारा 4 के अधीन स्थापित और अधिनियम की धारा 5क के अधीन समय-समय पर पुनर्गठित रूप में बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) ''फार्म'' से अभिप्रेत हैं भूमि, भवन, सहायक सुविधाएं और अन्य उपस्कर, जिनका उपयोग पूर्णरूप से या आंशिक रूप से अंडों के उत्पादन के लिए कुक्कुट फार्मिंग में किया जाता है ;

(घ) ''फार्म का स्वामी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उस फार्म के ऊपर, जहां मुर्गियों का पालन पोषण किया जाता है और उन्हें वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अंडों के उत्पादन के लिए रखा जाता है, अधिकार और नियंत्रण रखता है ;

(ड.) ''फार्म प्रचालक'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी फार्म के कारबार का स्वामी है और उसका प्रचालन या प्रबंध करता है ;

(च) ''मुर्गी'' से कोई मादा पालतू मुर्गी का बच्चा अभिप्रेत है, जिसे अंडा उत्पादन के प्रयोजन के लिए रखा जाता है और जिसके अंतर्गत पठोर (पुलेट) हैं ;

(छ) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से नगर निगम समिति, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, पंचायत या कोई अन्य ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी विषय का प्रशासन और नियंत्रण सौंपा गया है ;

(ज) ''विहित प्राधिकारी'' से बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(झ) ''राज्य बोर्ड'' से राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य में गठित राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ञ) ''पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी'' से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी की स्थापना और विनियमन) नियम, 2001 (जिसे का0आ0 271(अ) तारीख 26 मार्च, 2001 द्वारा अधिसूचित किया गया था) के नियम 2 के खंड (ड.) में यथा परिभाषित सोसाइटी अभिप्रेत है ;

(ट) ''पशु चिकित्सा व्यवसायी'' से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 2 के खंड (छ) में यथा परिभाषित रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है ।

3. **नियमों का लागू होना -** ये नियम उन फार्मों को लागू होंगे, जहां अंडा देने वाली मुर्गियों को घरों में रखा जाता है ।

4. **रजिस्ट्रीकरण-** (1) कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पशु कल्याण विभाग के पास रजिस्ट्रीकृत हुए बिना, कुक्कुट फार्मिंग का कार्य नहीं करेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को फार्म में सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

(3) इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व कार्य करने वाला प्रत्येक फार्म, उसके प्रारंभ की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर स्वयं को संबंधित राज्य के पशु कल्याण विभाग के पास रजिस्टर करवाएगा ।

(4) किसी राज्य का पशु कल्याण विभाग, रजिस्ट्रीकरण करते समय, ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(5) किसी राज्य का पशु कल्याण विभाग, इन नियमों में अधिकथित प्रचालन प्रक्रिया की पूर्ति के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात् किसी फार्म को पिंजरा-मुक्त या रेंज मुक्त फार्म के रूप में प्रमाणित कर सकेगा और प्रमाणन पर ऐसे फार्म को 'जैविक उत्पाद' शब्द का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

5. **मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की बोर्ड की शक्तियां-** (1) बोर्ड या कोई राज्य बोर्ड, समय-समय पर, राज्य के पशु कल्याण विभाग और स्थानीय प्राधिकारियों को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत, जो वह इन नियमों का अनुपालन सुकर बनाने के लिए आवश्यक समझे, जारी कर सकेगा ।

(2) फार्म का स्वामी या प्रचालक फार्म के कृत्यकरण से संबंधित सभी अभिलेख बोर्ड या राज्य बोर्ड को, जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएगा और सूचना देगा ।

6. **कुक्कुट फार्मिंग में लगी हुई कंपनी के उत्तरदायित्व-** (1) जहां फार्म की स्वामी कोई कंपनी है, वहां ऐसी कंपनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रधान या सर्वोच्च पंक्ति वाला कर्मचारी, इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) कंपनियों और फार्मरों के बीच संविदा फार्मिंग की दशा में, जहां कुक्कुट फार्मिंग के लिए निवेश किसी कंपनी द्वारा फार्म के स्वामी को पूर्व निर्धारित कीमत पर अंडे उपलब्ध कराने के बदले में किया जाता है, वहां फार्म का स्वामी और कंपनी दोनों इन नियमों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(3) जहां किसी फार्म का स्वामी कोई सरकारी अस्तित्व है, वहां इन नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व उस अस्तित्व के प्रमुख पर होगा ।

7. **निरीक्षण प्राधिकृत करने की शक्ति-** अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए किसी राज्य का पशुपालन विभाग या बोर्ड या कोई राज्य बोर्ड या कोई अन्य स्थानीय

प्राधिकारी, अपने अधिकारियों में से किसी को लिखित रूप से किसी फार्म का निरीक्षण करने के लिए और ऐसे निरीक्षण के निष्कर्ष अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट, यथास्थिति, विभाग, बोर्ड या राज्य बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी या व्यक्ति-

(क) किसी युक्तियुक्त समय पर उस फार्म में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा ; और

(ख) किसी व्यक्ति से फार्म के संबंध में उसके द्वारा रखे गए किसी अभिलेख को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ग) किसी पशु का, यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है या यह कि पशुओं के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है, अभिग्रहण कर सकेगा और इस प्रकार अभिगृहीत पशु को स्थानीय पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण सोसाइटी की या किसी पशु कल्याण संगठन की अभिरक्षा में रखा जाएगा ।

8. **अनुज्ञात स्थान की अपेक्षा-** (1) मुर्गियां ऐसी रीति से परिरुद्ध नहीं की जाएंगी कि जो उन्हें लेटने से, खड़े होने से, किसी अहाते के हाशिए या अन्य अंडा देने वाली मुर्गियों को छुए बिना दोनों पंख फैलाने से या किसी बाधा के बिना और किसी बाड़े के हाशिए को छुए बिना पूर्ण रूप से घूम जाने से निवारित करती हो ।

(2) सभी मुर्गियों के लिए अंडों पर बैठने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए और घरौंदा बाक्स, दाना चुगने और खुरचने के लिए के लिए इधर-उधर बिखरा हुआ कूड़ा-करकट होना चाहिए और खाने तक स्वतंत्रता से पहुंच होनी चाहिए ।

9. **कुक्कुट फार्म में संग्रहण सघनता -** (1) फर्श स्थान की परिगणना के प्रयोजन के लिए घरौंदों के क्षेत्र, घरौंदे बाक्सों और ऊंचे उठाए हुए डंडों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा किन्तु ऊंचे न उठाए हुए डंडों के ऐसे स्थानों की, जो स्लेट वाले फर्शों में एकीकृत हैं, फर्श के स्थान के रूप में परिगणना नहीं की जाएगी ।

(2) एकल स्तर वाले घर में प्रति मुर्गी न्यूनतम 0.14 वर्गमीटर की सामान्य व्यवहार करने के लिए व्यवस्था की जाएगी ।

(3) किसी घर में, जिसमें कूड़ा, कचरा और उठे हुए स्लेट वाला क्षेत्र होगा, ड्रापिंग गड्ढे या बेल्ट के ऊपर बैठने वाला डंडा या दड़बा क्षेत्र होगा, न्यूनतम मंजूर स्थान 0.11 वर्गमीटर प्रति मुर्गी के लिए होगा ।

(4) सिर के ऊपर वाले डंडों या प्लेटफार्मों पर पोषकों और पेयों के साथ बहु-परत वाली प्रणालियों में और जिनमें सिर के ऊपर वाले डंडों या प्लेटफार्मों पर कम से कम पांच प्रतिशत मुर्गियों के लिए डंडों पर बैठने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था है, कम से कम 0.09 वर्गमीटर (900 सेंटीमीटर) स्थान प्रति मुर्गी को दिया जएगा ।

(5) पठोरों (पुलेट) को निम्नलिखित से अन्यून के स्थान वाले घरों में रखा जाएगा, अर्थात् :--

(क) 0 - 6 सप्ताह का 72 वर्ग इंच (464 वर्ग सेंटीमीटर) में ;

(ख) 6 - 18 सप्ताह का 144 वर्ग इंच (929 वर्ग सेंटीमीटर) में (या लेयर वाले घर में रखा जाएगा) ; और

(ग) पठोरों (पुलेट) की 6 सप्ताह की आयु के पूर्व डंडों पर बैठने के स्थानों तक पहुंच होगी, जिससे कि वे अंडा देने वाले वातावरण से परिचित होने के लिए तैयार हों ।

10. **स्थान की अनुज्ञा के अनुरक्षण अभिलेख -** (1) फार्म का स्वामी या प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि घरों की अधिकतम सघनता अधिक नहीं होती है और मुर्गियों को उपलब्ध कुल फर्श क्षेत्र का, स्थान की अनुज्ञा का और घर के अंदर रखे जाने वाले पक्षियों की अधिकतम संख्या का अभिलेख रखा जाता है ।

(2) फार्म का स्वामी या प्रचालक उपलब्ध पक्षियों की संख्या का, दैनिक मृत्युदर का और निकाली गई संख्या का अभिलेख रखेगा ।

(3) ये अभिलेख विहित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे ।

11. **घरौंदा बाक्सों की संख्या-** व्यक्तिगत घरौंदा बाक्स की कम से कम प्रति पांच मुर्गियों के लिए या समुदाय घरौंदा प्रणाली में प्रति 100 पक्षियों के लिए समग्र रूप से न्यूनतम 0.8 वर्गमीटर के घरौंदा क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी ।

12. **घरौंदा बाक्सों में फर्श उपस्तर-** घरौंदा बाक्सों में फर्श उपस्तर होगा, जो घरौंदा व्यवहार को प्रोत्साहित करेगा ।

13. **पक्षियों के बैठने के डंडे-** (1) सभी घरों में पक्षियों के बैठने के डंडों की व्यवस्था की जाएगी और उनमें प्रति मुर्गी कम से कम 15.24 सेंटीमीटर के क्षेत्र की व्यवस्था होगी । डंडों के कम से कम बीस प्रतिशत स्थान को ऊंचा किया जाएगा, किन्तु डंडों को अधिक ऊंचा नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मुर्गियां ऊंचे डंडों से नीचे कूदते हुए हड्डियां तोड़ सकती हैं और डंडों के स्थान की परिगणना करने के प्रयोजन के लिए केवल उन डंडों को, जो समीपस्थ फर्श से 40.64 सेंटीमीटर से अधिक पर और एक मीटर से कम पर अवस्थित है, गणना में लिया जाएगा ।

(2) छिद्र वाले फर्शों पर, जब उनमें फर्श संरचना के भीतर निगमित या फर्श की छत से संलग्न डंडे हों, तो डंडे वाले स्थान के रूप में विचार किया जा सकता है ।

(3) निगमित डंडों के बीच न्यूनतम स्थान 12 इंच का होगा, जिससे पक्षी आसानी से एक साथ डंडों पर बैठ सकें ।

14. **डंडों की डिजाइन -** (1) डंडों की डिजाइन ऐसी होगी, जिससे किसी भी डंडे के किसी भी तरफ कम से कम 1.27 सेंटीमीटर का खाली स्थान हो, जिससे मुर्गी अपने पंजों के छूट जाने के खतरे के बिना डंडे को मजबूती से पकड़ सकें ।

(2) डंडे कम से कम 3.18 सेंटीमीटर चौड़े सबसे ऊपर होंगे (गोल डंडे कम से कम 3.18 सेंटीमीटर के व्यास वाले होंगे), उनके नुकीले किनारे नहीं होंगे और फिसलने वाली सामग्री से बने हुए नहीं होंगे ।

(3) डंडे इस प्रकार होंगे, जिससे नीचे किसी मुर्गी का गंदा होना न्यूनतम किया जा सके और जब संभव हो, वे ड्रापिंग गड्ढे के ऊपर होंगे ।

15. **कूड़ा कचरा-** (1) व्यवस्था किए गए कूड़े कचरे का क्षेत्र इतना पर्याप्त होगा कि उसमें पक्षी धूल झाड़ सकें और भोजन के लिए स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकें ।

(2) घर प्रणालियों के लिए, जिनके अंतर्गत पूर्ण रूप से स्लेट वाले या ग्रिड फर्श हों, धूल झाड़ने के अवसर की यथोचित उपस्तर (कूड़े-कचरे) द्वारा ऐसे आकार के घर में, जिसमें बहुत सी मुर्गियां एक साथ धूल झाड़ सकें, सर्वत्र व्यवस्था की जाएगी ।

(3) संपरिवर्तित ऊंचे भवनों में उपलब्ध फर्श स्थान के न्यूनतम 15 प्रतिशत का एक उपयुक्त उपस्तर होगा ।

(4) पठोरों (पुलेट) की कूड़े-कचरे तक लगातार पहुंच होगी ।

16. **नर मुर्गी के बच्चों की सुख मृत्यु-** (1) अंडे सेने वाले स्थान, नियंत्रित वायुमंडलीय वध की पद्धति द्वारा निष्क्रिय गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हुए, नर मुर्गी के बच्चों को सुख मुत्यु देने के लिए पशु सुख मृत्यु का उपयोग करेंगे ।

(2) बोर्ड सुख मृत्यु के लिए रीति विनिर्दिष्ट करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा ।

17. **खाद्य के संबंध में प्रतिषेध-** (1) मरे हुए मुर्गी के बच्चों के साथ मुर्गियों का खाना प्रतिषिद्ध होगा ।

(2) संवर्धक संप्रवर्तकों का उपयोग प्रतिषिद्ध होगा ।

(3) प्रतिजीवाणुओं को उपचारात्मक प्रयोजनों (बीमारी के उपचार) के लिए और केवल किसी पशु चिकित्सक के पर्यवेक्षण के अधीन दिया जा सकेगा ।

(4) रोंआ गिराने के लिए फुसलाने हेतु खाद्य का पीछे हटा लेना प्रतिषिद्ध होगा ।

18. **भुक्तशेष मुर्गियों का व्ययन-** (1) फार्म भुक्तशेष मुर्गियों का विक्रय केवल अनुज्ञप्त वधशाला को करेगा ।

(2) भुक्तशेष मुर्गियों का परिवहन और वध लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

19. **पशु चिकित्सा देखभाल-** (1) प्रत्येक फार्म का स्वामी-

(क) केवल ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करेगा, जो पशुओं की उठाई-धराई और देखभाल करने में प्रशिक्षित हैं और जिनका आक्रामक या असामान्य व्यवहार नहीं है, इसके बजाय उनका स्वभाव पशुओं के प्रति भी दयापूर्ण है ; और

(ख) पर्याप्त संख्या में फार्म पर कर्मचारियों को नियोजित करेगा, जो मुर्गियों की उचित रूप से देखभाल कर सके और उन पर ध्यान दे सके और सुनिश्चित करेगा कि

प्रति दस हजार पशुओं के लिए कम से कम दो कर्मचारी सभी समयों पर मुर्गियों की देखभाल करने के लिए उपलब्ध हों ।

(2) प्रत्येक फार्म पशु चिकित्सा देखभाल के लिए, जिसके अंतर्गत आपातकालीन चिकित्सा देखभाल भी है, उपबंध करेगा और फार्म में सहजदृश्य स्थान पर आपातकाल में पशु चिकित्सा व्यवसायी से संपर्क किए जाने के लिए ब्यौरे प्रदर्शित करेगा, जिससे कि कर्मचारियों और निरीक्षकों के लिए पशु चिकित्सा व्यवसायी तक पहुंचना, जैसे और जब आवश्यक हो, सरल बनाया जा सके ।

(3) फार्म प्रचालक पशुओं की अंग संबंधी या सांसर्गिक बीमारी या संक्रामक रोग के यकायक फूट पड़ने या फूट पड़ने का संदेह होने की रिपोर्ट तुरंत स्थानीय प्राधिकारी, राज्य बोर्ड या राज्य सरकार को देगा ।

(4) प्रत्येक फार्म में संक्रमण रोग से रुग्ण मुर्गियों या रुग्ण होने के लिए संदिग्ध मुर्गियों को अलग रखने के लिए कम से कम एक कक्ष या अहाता होगा ।

<u>उपाबंध - 2</u>

पशुओं (ब्रोयलर चिकन) के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2017

का0आ0.....(अ)- पशुओं (ब्रोयलर चिकन) के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2017 का एक प्रारूप, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों पर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए, प्रकाशित किया जाता है ;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, अवर सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कमरा सं0.....को भेजे जा सकेंगे ।

जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा ।

अत:, केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

<u>प्रारूप नियम</u>

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं (ब्रोयलर चिकन) के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2017 है ।

(2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार.....

2. **परिभाषाएं -** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, -

(क) ''अधिनियम'' से पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है ;

(ख) ''बोर्ड'' से धारा 4 के अधीन स्थापित और अधिनियम की धारा 5क के अधीन समय-समय पर पुनर्गठित रूप में बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) ''चिकन'' से कोई पालतू चिकन, टर्की, बत्तख, हंस या विशेष प्रकार का मुर्गा अभिप्रेत है, जिसे मांस उत्पादन के लिए रखा जाता है और इसके अंतर्गत पठोर हैं ;

(घ) ''फार्म'' से अभिप्रेत हैं भूमि, भवन, सहायक प्रसुविधाएं और अन्य उपस्कर, जिनका प्रयोग पूर्णरूप से या आंशिक रूप से मांस के लिए ब्रोयलर चिकन के उत्पादन के लिए किया जाता है ;

(ड.) ''फार्म का स्वामी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उस फार्म के ऊपर, जहां चिकन का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए मोटा करने और मांस के उत्पादन के लिए पालन-पोषण किया जाता है, अधिकार और नियंत्रण रखता है ;

(च) ''फार्म प्रचालक'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी फार्म के कारबार का स्वामी है और उसका प्रचालन या प्रबंध करता है ;

(छ) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से नगर निगम समिति, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, पंचायत या कोई अन्य ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी विषय का प्रशासन और नियंत्रण सौंपा गया है ;

(ज) "विहित प्राधिकारी" से बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(झ) "राज्य बोर्ड" से राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य में गठित राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ञ) "पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी" से अधिनियम के अधीन स्थापित कोई कानूनी पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी अभिप्रेत है ;

(ट) "पशु चिकित्सा व्यवसायी" से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत कोई चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है और जिसका नाम तत्समय के लिए भारतीय चिकित्सा व्यवसायी परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर में सम्मिलित है ।

3. **नियमों का लागू होना -** ये नियम उन फार्मों को लागू होंगे, जहां चिकन घरों में रखे जाते हैं ।

4. **रजिस्ट्रीकरण-** (1) कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पशु कल्याण विभाग के पास रजिस्ट्रीकृत हुए बिना, चिकन फार्मिंग का कार्य नहीं करेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को फार्म में सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

(3) इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व कार्य करने वाला प्रत्येक फार्म, उसके प्रारंभ की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर स्वयं को संबंधित राज्य के पशु कल्याण विभाग के पास रजिस्टर करवाएगा ।

(4) किसी राज्य का पशु कल्याण विभाग, रजिस्ट्रीकरण करते समय, ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

5. **मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की बोर्ड या राज्य बोर्ड की शक्तियां-** (1) बोर्ड या कोई राज्य बोर्ड, समय-समय पर, राज्य के पशु कल्याण विभाग और स्थानीय प्राधिकारियों को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत, जो वह इन नियमों का अनुपालन सुकर बनाने के लिए आवश्यक समझे, जारी कर सकेगा ।

(2) फार्म का स्वामी या प्रचालक फार्म के कृत्यकरण से संबंधित सभी अभिलेख बोर्ड या राज्य बोर्ड को, जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएगा और सूचना देगा ।

6. **चिकन फार्मिंग में लगी हुई कंपनी के उत्तरदायित्व-** (1) जहां फार्म की स्वामी कोई कंपनी है, वहां ऐसी कंपनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रधान या सर्वोच्च पंक्ति वाला कर्मचारी, इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) कंपनियों और फार्मरों के बीच संविदा फार्मिंग की दशा में, जहां चिकन फार्मिंग के लिए निवेश किसी कंपनी द्वारा फार्म के स्वामी को पूर्व निर्धारित कीमत पर चिकन उपलब्ध कराने के बदले में किया जाता है, वहां फार्म का स्वामी और कंपनी दोनों इन नियमों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(3) जहां किसी फार्म का स्वामी कोई सरकारी अस्तित्व है, वहां इन नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व उस अस्तित्व के प्रमुख पर होगा ।

7. **निरीक्षण प्राधिकृत करने की शक्ति-** अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए किसी राज्य का पशुपालन विभाग या बोर्ड या कोई राज्य बोर्ड या कोई अन्य स्थानीय प्राधिकारी, अपने अधिकारियों में से किसी को लिखित रूप से किसी फार्म का निरीक्षण करने के लिए और ऐसे निरीक्षण के निष्कर्ष अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट, यथास्थिति विभाग, बोर्ड

या राज्य बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी या व्यक्ति-

(क) किसी युक्तियुक्त समय पर उस फार्म में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा ; और

(ख) किसी व्यक्ति से फार्म के संबंध में उसके द्वारा रखे गए किसी अभिलेख को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ग) किसी पशु का, यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है या यह कि पशुओं के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है, अभिग्रहण कर सकेगा और इस प्रकार अभिगृहीत पशु को स्थानीय पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण सोसाइटी की या किसी पशु कल्याण संगठन की अभिरक्षा में रखा जाएगा ।

8. **अनुज्ञात स्थान की अपेक्षा-**

(1) चिकन को पिंजरों के घरों में नहीं रखा जाएगा या तार वाले अथवा स्लेट वाले फर्शों पर नहीं रखा जाएगा ।

(2) चिकन के लिए बिना किसी कठिनाई के हिलने-डुलने के लिए, सामान्य रूप से खड़े होने, चारो तरफ घूमने और अपने पंखों को फैलाने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की जाएगी ।

9. **चिकन फार्म में संग्रहण सघनता -**

(1) अधिकतम संग्रहण सघनता की परिगणना उपलब्ध फर्श स्थान के अनुसार चिकन के भार के आधार पर की जाएगी ।

(2) यह सघनता छूट 30 किग्रा/वर्गमीटर से अधिक नहीं होगी ।

10. **स्थान की अनुज्ञा के अनुरक्षण अभिलेख -** (1) फार्म का स्वामी या प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि घर की अधिकतम सघनता अधिक नहीं होती है और चिकन को उपलब्ध कुल फर्श क्षेत्र का, स्थान की अनुज्ञा का और घर के अंदर रखे जाने वाले पक्षियों की अधिकतम संख्या का अभिलेख रखा जाता है ।

(2) फार्म का स्वामी या प्रचालक उपलब्ध पक्षियों की संख्या का, दैनिक मृत्युदर का और निकाली गई संख्या का अभिलेख रखेगा ।

(3) ये अभिलेख विहित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे ।

11. **खाद्य-** (1) चिकन को प्रतिदिन पोषक खाद्य दिया जाएगा और स्वास्थ्यकर भोजन पर्याप्त मात्रा में, जो उनकी आयु और किस्म के लिए समुचित हो, दिया जाएगा ।

(2) पोषक तत्वों और खाद्य व्यवस्था का नियंत्रण किया जाएगा जिससे कि टांग की असामान्यताओं और विकास की त्वरित दर के साथ सहयुक्त अन्य समस्याओं का निवारण हो ।

(3) चिकन को मृत मुर्गी के बच्चों के अवशेष अंतर्विष्ट करने वाला खाद्य नहीं दिया जाएगा ।

(4) चिकन को संवर्धक संप्रवर्तक नहीं दिए जाएंगे ।

(5) प्रतिजीवाणुओं को, जिनके अंतर्गत प्रतिरोधक भी हैं, किसी पशु चिकित्सक के पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाए, नहीं दिया जाएगा ।

(6) फार्म का स्वामी या प्रचालक पर्याप्त खाद्य की व्यवस्था करेगा और उसे घर या अहाते में सर्वत्र वितरित कर दिया जाएगा जिससे कि सभी चिकन अनुचित प्रतियोगिता के बिना खा

सकें और खाद्य वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि जिससे संपूर्ण खाद्य प्रणाली द्वारा प्रत्येक स्थान पर खाद्य की एकरूप उपलब्धता सुनिश्चित हो ।

12. **परिसरों में विषैले पदार्थों के संपर्क से बचाव -** फार्म का स्वामी या प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि चिकन धूएं, पेंट, लकड़ी परिरक्षकों, रोगाणुनाशियों या किन्हीं अन्य ऐसे पदार्थों के संपर्क में न आएं, जो उनके लिए विषैले हैं।

13. **फर्शों की डिजाइन** -(1) चिकन के घर के फर्श की परजीवियों और अन्य रोगजनक अंगों के धीरे-धीरे जमा होने का निवारण करने के लिए प्रभावी सफाई की जाएगी और रोगाणुनाशन किया जाएगा ।

(2) कंक्रीट के फर्शों के मिट्टी के फर्शों की तुलना में अधिमानत: दी जाएगी, क्योंक उन्हें अधिक प्रभावी रूप से साफ किया जा सकता है और रोगाणुनाशी बनाया जा सकता है ।

14. **घास-फूस** (1) सभी घरों के फर्श पूर्णत: घास-फूस से आच्छादित होंगे और चिकन की सभी समयों पर घास-फूस के क्षेत्र तक पहुंच होगी ।

(2) घास-फूस :

(क) उपयुक्त सामग्री, उपयुक्त आकार के कणों की होगी और उसका रखरखाव आसान होगा ;

(ख) अच्छी क्वालिटी की (साफ, सूखी, धूल से मुक्त और अवशोषी) होगी ;

(ग) मल के अवमिश्रण के लिए पर्याप्त गहराई वाली होगी ;

(घ) पक्षियों के पैर अत्यधिक मल संदूषण से मुक्त होने चाहिए ;

(ड.) पक्षी धूल झाड़ सकेंगे ; और

(च) मल साफ की हुई होगी और ऊपर से जितना आवश्यक हो, ताजा घास-फूस डाली जाएगी ।

(3) ऐसी घास-फूस को, जो भीगी हुई हो, चूहों द्वारा कुतरी हुई हों या अन्यथा संदूषित हो, चिकन के घरों में नहीं डाला जाएगा ।

(4) भीगी हुई या अन्यथा संदूषित घास-फूस को या केक वाली घास-फूस को समय-समय पर बदला जाएगा ।

(5) आकस्मिक जल प्रवाह से भीगी हुई घास-फूस को बदला जाएगा ।

15. **प्रकाश की अवधि-** चिकन घर में प्रकाश प्रणाली चौबीस घंटे के चक्र की होगी :

(क) आठ घंटे के प्रकाश की न्यूनतम अवधि होगी, जिसकी व्यवस्था या तो कृत्रिम प्रकाश द्वारा या दिन के प्रकाश की पहुंच द्वारा की जाएगी ; और

(ख) प्रत्येक चौबीस घंटे के चक्र में, सिवाय उस दशा के जब अंधेरे के प्राकृतिक अवधि कम हो, लगातार अंधेरे की छह घंटे की न्यूनतम अवधि होगी ;

(ग) खंड (ख) की अपेक्षा को पालन-पोषण के प्रथम कुछ दिनों के और वध के पूर्व अंतिम तीन दिनों के दौरान लागू करने की आवश्यकता नहीं है ।

16. **उत्तेजक वातावरण -** (1) अंदर रहने वाले चिकन को सक्रिय रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी ।

(2) वायुमंडलीय संपन्नता, जैसे ढलान, नीचे डंडों, चोंच मारने के ब्लाकों, भूसे के गट्ठरों का अन्वेषणात्मक, चारे की खोज करने वाले और चलनशील वातावरण को उत्तेजित करने और क्षतिकारक चोंच मारने को न्यूनतम करने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

17. **चिकन का व्ययन-** (1) फार्म चिकन का विक्रय केवल अनुज्ञप्त वधशाला को करेगा ।

(2) चिकन का परिवहन और वध लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

18. **पशु चिकित्सा देखभाल-** (1) प्रत्येक फार्म का स्वामी-

(क) केवल ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करेगा, जो पशुओं की उठाई-धराई और देखभाल करने में प्रशिक्षित हैं और जिनका आक्रामक या असामान्य व्यवहार नहीं है, इसके बजाय उनका स्वभाव पशुओं के प्रति भी दयापूर्ण है ; और

(ख) पर्याप्त संख्या में फार्म पर कर्मचारियों को नियोजित करेगा, जो चिकन की उचित रूप से देखभाल कर सके और उन पर ध्यान दे सके और सुनिश्चित करेगा कि प्रति पांच हजार पशुओं के लिए कम से कम दो कर्मचारी सभी समयों पर चिकन की देखभाल करने के लिए उपलब्ध हों ।

(2) प्रत्येक फार्म पशु चिकित्सा देखभाल के लिए, जिसके अंतर्गत आपातकालीन चिकित्सा देखभाल भी है, उपबंध करेगा और फार्म में सहजदृश्य स्थान पर आपातकाल में पशु चिकित्सा व्यवसायी से संपर्क किए जाने के लिए ब्यौरे प्रदर्शित करेगा, जिससे कि कर्मचारियों और निरीक्षकों के लिए पशु चिकित्सा व्यवसायी तक पहुंचना, जैसे और जब आवश्यक हो, सरल बनाया जा सके ।

(3) फार्म प्रचालक पशुओं की अंग संबंधी या सांसर्गिक बीमारी की या संक्रामक रोग के यकायक फूट पड़ने या फूट पड़ने का संदेह होने की रिपोर्ट तुरंत स्थानीय प्राधिकारी, राज्य बोर्ड या राज्य सरकार को देगा ।

(4) प्रत्येक फार्म में रुग्ण या मृत मुर्गियों अथवा रुग्ण या मृत होने के लिए संदिग्ध मुर्गियों को अलग रखने के लिए कम से कम एक कक्ष या अहाता होगा ।

<u>उपाबंध - 3</u>

<u>अभ्यावेदनों/उत्तरों का संक्षेप</u>

भारत के विधि आयोग ने भारत सरकार के अनुरोध पर कुक्कुट पक्षियों की देखभाल और परिवहन से संबंधित विधियों और प्रवृत्तियों की प्रास्थिति की परीक्षा की है । आयोग ने तारीख 12 अप्रैल, 2017 को की गई अपील के माध्यम से विभिन्न पणधारियों से विचार/टिप्पण आमंत्रित किए थे ।

2 मई, 2017 को सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखे गए थे, जिनमें विभिन्न पणधारियों से विस्तृत प्रचार करके विधि आयोग के प्रयास में भाग लेने और उनकी राय प्राप्त करने में सहायता करने के लिए कहा गया था । संगठनों, रेस्त्रांओं, प्रसिद्ध व्यक्तियों, न्यायपालिका के सेवानिवृत्त सदस्यों, चिकित्सा व्यवसायियों, पत्रकारों से टिप्पण प्राप्त हुए हैं ।

अभ्यावेदनों में निम्नलिखित कहा गया है :

- अभ्यावेदनों में कुक्कुट उद्योग की अस्वास्थ्यकर दशाओं और पक्षियों की भलाई पर बैटरी पिंजरे में उन्हें परिरुद्ध किए जाने से प्रभाव को आयोग की जानकारी में लाया गया है । पक्षियों के अधिक स्वतंत्र और प्राकृतिक संचलन को सुनिश्चित करने के लिए घरों में अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है । ऐसी अस्वास्थ्यकर दशाओं के कारण, जिनमें पक्षियों को रखा जाता है, कैंसर आदि जैसी घातक बीमारियों में वृद्धि

हुई है । इन अस्वास्थ्यकर दशाओं का प्रभाव उन व्यक्तियों पर पड़ता है, जो ऐसे पक्षियों के मांस या अंडों का उपभोग करते हैं ।

- चोंच को तोड़ने और छोटे नर मुर्गी के बच्चों को मारने की क्रूर प्रथा उद्योग में है । गैर चिकित्सा संबंधी प्रतिजीवाणुओं को अनावश्यक रूप से पक्षियों को दिया जाना (जिनसे घटनावश प्रतिजीवाणु प्रतिरोध शक्ति बढ़ती है) केवल बैटरी पिंजरों में क्रूरतापूर्वक परिरुद्ध किए जाने के प्रभाव को प्रभावहीन कर देने के लिए है । वध और उद्योग में अस्वास्थ्यकर दशाओं का प्रभाव मनुष्यों पर होता है । पालन पोषण और अच्छे व्यवहार के लिए मानवोचित प्रणाली की आवश्यकता है, कुक्कुट उद्योग में आवश्यक प्रसुविधाओं की कमी है और बैटरी पिंजरों की प्रसुविधाओं को समाप्त करने की आवश्यकता है । उपभोक्ता क्रूरता मुक्त मांस/ रसायनिक रूप से उत्पन्न अंडों की मांग करते हैं और बड़े बाजार में ऐसे विद्यमान रुझान की कमी विक्रेताओं और होटल उद्योगों के लिए व्यापार की आवश्यकता को पूरा करना कठिन बनाती हैं, अत: इस संबंध में मुर्गियों के साथ अधिक मानवोचित व्यवहार की वकालत की जानी चाहिए ।

- कुक्कुट उद्योग में पक्षियों के साथ अधिक दयापूर्ण व्यवहार करने के लिए अनुरोध और बैटरी पिंजरों की प्रसुविधाओं को समाप्त करने के लिए अपीलें की जा रही हैं । घर प्रबंध में अधिक प्राकृतिक वातावरण, जो मुर्गियों को डंडे पर बैठने और स्वतंत्रतापूर्वक इधर-उधर घूमने की अनुज्ञा देता है, बैटरी पिंजरों की विद्यमान पद्धति के स्थान पर अधिक अच्छा विकल्प है । फार्मिंग उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली पद्धतियां अधिक मानवोचित होनी चाहिएं । अधिक अच्छी फार्मिंग तकनीकों के लिए और उस रीति में, जिसमें वे रखे जाते हैं, तुरंत परिवर्तन की आवश्यकता है । कुक्कुट फार्म पक्षियों में प्रतिजीवाणु प्रतिरोध बढ़ने का स्वास्थ्य पर अत्याधिक प्रभाव पड़ रहा है और प्रारूप नियमों को अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता है । कुक्कुट

फार्म पक्षियों का बैटरी पिंजरों में परिरोध समाप्त करने के लिए कारण हैं, क्योंकि उससे उनके प्रति क्रूरता की जाती है और अमानवीय पद्धतियों को कम करने के लिए उनको विनियमित करने वाले नियमों के संबंध में सरकार के तुरंत हस्तक्षेप की आवश्यकता है ।

- पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के उपबंध पशुओं की गरिमा सुनिश्चित करने और उनके साथ मानवोचित व्यवहार करने के बारे में कहते हैं । पक्षियों का बैटरी पिंजरे में परिरोध समाप्त करने की अपील की जा रही है और इस प्रयोजन के लिए प्रारूप नियमों की अधिसूचना जारी की जानी चाहिए । पशुओं (अंडा देने वाली मुर्गियों) के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2012 का प्रारूप कुक्कुट उद्योग में नर मुर्गी के बच्चों के प्रति किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार पर जोर देता है । पत्रकारिता के प्रयोजनों के लिए कुक्कुट उद्योग का अध्ययन करते समय संबंधित व्यक्तिगत अनुभव और क्रूरता के ब्यौरे इस क्रूरता को कम करने के लिए आवश्यकता पर जोर देते हैं ।